VISIONIAS

www.visionias.in

PT 365

Classroom Study Material

राजव्यवस्था

JUNE 2016 – FEB 2017

NOTE: March 2017 to 15th May 2017 current affairs for PT 365 Polity will be updated on our website on third week of May 2017.

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. केंद्र राज्य संबंध _____ *6*

1.1. अंतर्राज्यीय जल _____ 6

1.1.1. अन्तर्राज्यीय जल विवाद हेतु एकल न्यायाधिकरण _____ 6

1.1.2. कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण II का निर्णय _____ 7

1.1.3. कावेरी जल मुद्दा _____ 7

1.1.4. नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति _____ 8

1.1.5. केन-बेतवा नदी परियोजना _____ 8

1.1.6. ओडिशा ने महानदी विवाद पर गठित पैनल को खारिज किया _____ 8

1.2. विशेष राज्य के दर्जे की मांग _____ 8

1.3.प्रतिस्पर्धी संघवाद _____ 9

1.4. अंतर्राज्यीय परिषद (ISC) की बैठक _____ 10

1.5. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक _____ 10

1.6. संघ राज्य क्षेत्रों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियाँ _____ 11

2. संविधान और संसद / राज्य विधान मंडल के कार्य से संबंधित मुद्दे _____ *12*

2.1. अनुच्छेद 370 _____ 12

2.2. संविधान की आठवीं अनुसूची _____ 12

2.3. लोक लेखा समिति _____ 13

2.4. दल बदल विरोधी क़ानून _____ 14

2.4.1. सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की अध्यक्ष की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय _____ 14

2.5. राष्ट्रीय प्रतीक _____ 14

2.5.1. राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान _____ 14

2.5.2. राष्ट्रीय गीत का प्रचार _____ 15

2.6. राज्यसभा में संयुक्त समूह _____ 15

2.7. चयन का अधिकार _____ 16

2.8. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता _____ 16

2.9 अनुच्छेद 224-A _____ 16

2.10 संविधान का अनुच्छेद 174 _____ 17

3. कार्यपालिका _____ *18*

3.1. अध्यादेश पर उच्चतम न्यायालय का वक्तव्य _____ 18

3.2. क्षमादान की शक्ति: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय _____ 18

3.3. अरुणाचल प्रदेश सरकार की पुनर्बहाली _____ 19

3.4. मणिपुर विधानसभा द्वारा पारित तीन बिल राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत _____ 19

VISION IAS

3.5. 'RTI के तहत महान्यायवादी की स्थिति' का पुनरीक्षण 20

3.6. दिल्ली में संसदीय सचिव से संबद्ध मुद्दा 20

4. संवैधानिक, विनियामक और अन्य निकाय 21

4.1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) 21

4.2. नेट न्यूट्रलिटी पर TRAI का परामर्श पत्र 22

4.3. मीडिया का विनियमन 22

4.3.1. मीडिया को विनियमित करने के लिए प्री-सेंसरशिप 22

4.4. गैर सरकारी संगठन 23

4.4.1. भारत में गैर लाभकारी संगठन 23

4.4.2. FCRA अधिनियम के तहत गैर-सरकारी संगठनों का विनियमन 24

4.4.3. सभी NGO को गृह मंत्रालय के अधीन लाने के लिए प्रस्ताव 24

4.5. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 24

5. भारत में चुनाव 26

5.1. राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में सुधार 26

5.2. राजनीतिक दलों के लिए कर छूट 26

5.3. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3) 27

5.4. राष्ट्रीय दल की स्थिति की समीक्षा 27

5.5. स्टार प्रचारक पर व्यय मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय 28

5.6. निर्वाचन आयोग (ECI) ने अधिक अधिकारों की मांग की 28

5.7. आदर्श आचार संहिता (MCC) : संसदीय समिति द्वारा समीक्षा 29

5.8. राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण 2016 (NERP 2016) 29

5.9. एग्जिट पोल 30

5.10 कंट्रोल यूनिट्स, बैलेट यूनिट्स और VVPAT की खरीद 30

5.11. जनमत 31

6. न्यायपालिका 32

6.1. सर्वोच्च न्यायालय में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति 32

6.2. न्यायाधीश द्वारा अवमानना 32

6.3. सार्वजनिक भूमि पर उपासना स्थल 33

6.4. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विसेज : AIJS) 33

6.5. सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून पर उच्चतम न्यायालय का आदेश 33

7. प्रशासन / पारदर्शिता / जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू 35

VISION IAS

7.1. स्पॉइल्स सिस्टम 35

7.2. न्यू CBI लॉ 35

7.3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा -19 36

7.4. सूचना का अधिकार 36

7.4.1. अनुपालन दर 36

7.4.2. RTI में सुधार 37

7.5. मध्य प्रदेश में 'हैप्पीनेस डिपार्टमेंट' 37

7.6 लीगल इनफार्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम (LIMBS) 38

7.7 ई-कैबिनेट का कार्यान्वयन 38

8. शहरी शासन 39

8.1. शहरी विकास मन्त्रालय : नए सुधार 39

8.2. नागालैंड की महिलाओं द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण की मांग 40

8.3. शहरीकरण और अवैध कालोनियां 40

9. महत्वपूर्ण विधान/ बिल 41

9.1. महत्वपूर्ण अधिनियम 41

9.1.2. मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक, 2015 संसद द्वारा पारित 42

9.1.3. पुराने कानूनों का निरसन 43

9.1.4. लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016 44

9.2. लंबित विधेयक 44

9.2.1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA), 1988 में संशोधन 44

9.2.2. शत्रु संपत्ति (ENEMY PROPERTY) अध्यादेश, 2016 45

9.2.3. परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विधेयक, 2015 46

9.3. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 46

9.4. प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016 47

9.5. निर्दिष्ट राहत (स्पेसिफिक रिलीफ) अधिनियम 47

9.6. भारतीय चिकित्सा परिषद विधेयक 2016 का प्रारूप 47

10. नीतियाँ /योजनाएं 49

10.1. टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना 49

10.2. वनजीवन 49

10.3. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली 49

10.4. एम्प्लॉइज ऑनलाइन मोबाइल एप्प 50

10.5. प्रथम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन 50

VISION IAS

10.6. एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल ______ 51

10.7. वेब रिस्पांसिव पेंशनर्स' सर्विस पोर्टल ______ 51

10.8. स्वच्छ युग अभियान ______ 51

10.9. नयी प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति ______ 52

11. विविध ______ 53

11.1. उत्तर-पूर्वी पर्यटन विकास परिषद (NETDC) ______ 53

11.2. भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (करप्शन परसेप्शन इंडेक्स :CPI) ______ 53

11.3. निजी FM रेडियो द्वारा समाचार प्रसारण ______ 53

11.4. राष्ट्रीय खेल संहिता हेतु समिति ______ 54

11.5. लोढ़ा समिति ______ 54

11.6. भारतीय कौशल विकास सेवा ______ 54

11.7. कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण ______ 55

11.8.मणिपुर मुद्दा ______ 55

11.9. शरण चाहने वालों के लिए लाभ ______ 56

11.10. भारत में नियामक निकाय ______ 56

11.11. मुख्य सतर्कता आयुक्त ______ 57

11.12. केन्द्रीय वक्फ परिषद ______ 57

11.13. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ______ 57

11.14.संकल्प परियोजना ______ 58

11.15. सरकारी विज्ञापनों हेतु समाचार पत्रों के लिए "मार्क सिस्टम" ______ 58

12. पूर्व के वर्ष में पूछे गए प्रश्न ______ 59

VISION IAS

1. केंद्र राज्य संबंध

(CENTRE STATE RELATIONS)

1.1. अंतर्राज्यीय जल

(Interstate water)

1.1.1. अन्तर्राज्यीय जल विवाद हेतु एकल न्यायाधिकरण

(Single Tribunal for Inter-State Water Dispute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

* **सभी अन्तर्राज्यीय जल विवादों के समाधान हेतु केंद्र सरकार ने अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 (ISWDA)** में संशोधन कर एक स्थायी न्यायाधिकरण के गठन का निर्णय लिया है।
* इसके अलावा देश के प्रत्येक नदी बेसिन में वर्षा, जल प्रवाह और सिंचाई क्षेत्र से सम्बंधित आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए भी एक एजेंसी की स्थापना प्रस्तावित की गयी है।

STAGNANT WATERS

- **Water dispute tribunals were created by the Centre under Inter State River Water Disputes Act of 1956.**
- Each tribunal is headed by a chairman and has two members, all of them judges of the Supreme Court or a High Court, nominated by the Chief Justice.
- **A tribunal has to award its decision within three years of its creation.**
- Once the decision is given, it is published in the official gazette.
- **Decisions published in the gazette are equal to an order or decree of the Supreme Court.**

पृष्ठभूमि

* **अभी केंद्र सरकार किसी विवाद के निवारण के लिए** अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधिकरणों का गठन करती है। अब तक ऐसे 8 न्यायाधिकरण गठित किये जा चुके हैं।
* वर्तमान में जल एक दुर्लभ संसाधन बन चुका है इसलिए अंतर्राज्यीय जल विवाद बढ़ रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के मध्य महादयी/मंडोवी नदी विवाद आरम्भ हो गया है।

LINGERING DISPUTES

Tribunal	States	Status
Ravi & Beas Water Tribunal	Punjab, Haryana and Rajasthan	Sub-judice
Krishna Water Disputes Tribunal-II	Karnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh	Sub-judice
Vansadhara Water Disputes Tribunal awaited	Andhra Pradesh & Odisha	Decision awaited
MahadayiWater Disputes Tribunal	Goa, Karnataka and Maharashtra	Decision awaited

Source: PIB, as on July 14, 2014

संवैधानिक प्रावधान

* संविधान के अनुच्छेद 262 (1) के अनुसार "संसद विधि द्वारा किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी-घाटी या उसके जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के सम्बन्ध में किसी विवाद या परिवाद के न्यायनिर्णयन के लिए उपबंध कर सकेगी"। इसके अनुसरण में संसद द्वारा अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (**Inter-State River Water Disputes Act, 1956**) अधिनियमित किया गया है।

अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956: मुख्य विशेषताएँ

✓ न्यायाधिकरण का गठन

✓ न्यायाधिकरण को एक सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ प्राप्त होंगी

✓ न्यायाधिकरण के निर्णयों को लागू करने हेतु योजना निर्माण की शक्ति

✓ न्यायाधिकरण के विघटन और नियम बनाने की शक्ति

✓ जल विवादों का अधिनिर्णयन

✓ डेटा बैंक और सूचना का रखरखाव

* जल विवाद के संबंध में उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार (jurisdiction) पर रोक

VISION

1.1.2. कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण II का निर्णय

(Krishna Water Disputes Tribunal II Verdict)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- न्यायमूर्ति बृजेश कुमार की अध्यक्षता में कृष्णा जल न्यायाधिकरण II ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कृष्णा नदी के जल के चार तटवर्ती राज्यों के बीच पुनर्वितरण की मांग को ठुकरा दिया है। ये चार राज्य - आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं।

पृष्ठभूमि

- कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण I (KWDT I) केंद्र सरकार द्वारा 1969 में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत कृष्णा नदी के जल के बंटवारे को लेकर **कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश** के बीच विवाद को हल करने के लिए स्थापित किया गया था।
- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने अपनी मौजूदा याचिका में सभी चार तटवर्ती राज्यों के बीच कृष्णा नदी के जल के पुनःआवंटन की मांग की है।
- उनके मुताबिक, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में धारा 89 सभी चार तटवर्ती राज्यों के मध्य कृष्णा नदी जल के पुनर्वितरण का प्रावधान करती है, न कि सिर्फ उन दोनों के बीच।

निर्णय

- न्यायाधिकरण ने कहा कि **आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 89 महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए लागू नहीं** होती।
- कृष्णा बेसिन के बाहर जल अनुप्रयोगों के आधार पर किये गए आवंटन ऐतिहासिक आधार पर मान्य हैं।
- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को उस जल को ही साझा करना है जो अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए आवंटित था।

1.1.3. कावेरी जल मुद्दा

(Cauvery Water Issue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 5 सितम्बर को सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के लिए 10 दिन तक प्रितदिन 15,000 क्यूसेक जल छोड़ने का आदेश दिया। इसके कारण कर्नाटक में व्यापक विरोध प्रदर्शन एवं बंद आरम्भ हो गए।
- कर्नाटक सरकार का कहना था कि दक्षिण कर्नाटक में सूखे की परिस्थितियों के कारण जल नहीं छोड़ा जा सकता।

भूगोल

- जल की उपलब्धता का आकलन करते समय, न्यायाधिकरण के अिधनिर्णय में इस तथ्य की उपेक्षा करने के लिए आलोचना की जाती रही है कि नदी बेसिन में भूजल, निचले नदतटीय राज्य (lower riparian state) में अधिक है एवं ऊपरी नदतटीय राज्य (upper riparian state) में कम है।
- मानसूनी वर्षा में कमी एवं अलनीनो तथा दो वर्ष तक निरंतर पड़े सूखे के कारण जल की मात्रा में कमी मुख्य कारण हैं। कर्नाटक में सामान्य वर्षा की तुलना में 18 प्रतिशत कम वर्षा हुई है।
- **भूमि का अकुशल उपयोग**: कर्नाटक की मृदा में शुष्क कृषि का गुण पाए जाने के बाद भी बड़े पैमाने पर गन्ने जैसी जल-गहन फसलें उगायी जा रही हैं।
- **तमिलनाडु की भौगोलिक स्थिति**: तमिलनाडु दक्षिण-पश्चिमी मानसून के लिए पश्चिमी घाट की अनुवात दिशा (leeward side) में स्थित है एवं यह अधिकतर वर्षा उत्तर-पूर्वी मानसून के माध्यम से प्राप्त करता है।

पृष्ठभूमि

- 1924 के समझौते के अनुसार, कावेरी नदी का जल तमिलनाडु एवं पुडुचेरी को 75%, कर्नाटक के लिए 23% एवं शेष केरल के लिए छोड़े जाने के रूप में वितरित किया जाता है।
- 1974 में, कर्नाटक (मैसूर) ने अधिकार जताया कि 1924 के समझौते के अनुसार 50 वर्षों बाद तमिलनाडु (मद्रास) के लिए जलापूर्ति बन्द होना नियत किया गया था।
- कर्नाटक ने मांग की कि नदी के जल को अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार अर्थात समान भागों में विभाजित किया जाना चाहिए।

©Vision IAS
VISION IAS

कावेरी जल न्यायाधिकरण

- तमिलनाडु सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इस मुद्दे का समाधान करने के लिए न्यायाधिकरण गठित करने हेतु की गयी अपील के परिणामस्वरूप 2 जून, 1990 को कावेरी जल न्यायाधिकरण की स्थापना की गयी थी।
- 2007 में, 16 वर्षों तक सुनवाई एवं बाद में जारी किए गए एक अंतरिम आदेश के बाद, न्यायाधिकरण ने अपने अंतिम आदेश की घोषणा की।
- इसमें यह निष्कर्ष दिया गया कि कावेरी में जल की उपलब्धता 740 tmcft (हजार मिलियन घन फीट) है।

1.1.4. नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति

(Special Committee for Inter-Linking of Rivers)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में स्थिति-सह-प्रगति रिपोर्ट (Status-cum-Progress Report) और "नदियों को आपस में जोड़ने के लिए विशेष समिति" के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है।
- फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने नदियों को जोड़ने की अनुमति दी थी लेकिन शर्त रखी थी कि व्यवहार्यता रिपोर्ट (feasibility reports) के समय पर पूरा करने और नियत समय पर परियोजनाओं के पूर्ण होने की सुनिश्चितता हेतु एक विशेष समिति स्थापित होनी चाहिए।
- इसकी स्थापना जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री की अध्यक्षता में हुई है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (National Water Development Agency) के महानिदेशक, समिति के सदस्य सचिव हैं।

1.1.5. केन-बेतवा नदी परियोजना

(Ken-betwa river project)

- केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का लक्ष्य सूखा-प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र को सिंचित करना है।
- इसके तहत 288 मीटर ऊंचे दौधन बांध (Daudhan dam) का निर्माण तथा केन नदी बेसिन के अधिशेष जल का स्थानांतरण बेतवा बेसिन तक करना शामिल है।
- इस परियोजना से पन्ना बाघ अभयारण्य की 4,300 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 400 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी।
- विशेषज्ञों के अनुसार बाघों की आबादी पर इसका विपरीत प्रभाव हो सकता है, क्योंकि उन्हें स्वयं को परिवर्तनों के अनुरूप अनुकूलित करना पड़ेगा।
- निर्माण-कार्य और विद्युत् संयंत्रों आदि से संबंधित गतिविधियों के कारण परियोजना का प्रभाव क्षेत्र और कहीं अधिक व्यापक होगा।

1.1.6. ओडिशा ने महानदी विवाद पर गठित पैनल को खारिज किया

(Odisha Rejects Panel On Mahanadi River Dispute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ओडिशा सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ महानदी नदी जल विवाद पर केंद्र सरकार द्वारा गठित वार्ता समिति को खारिज कर दिया तथा बदले में अधिनिर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण के गठन की मांग की।

नदी विवाद

- 858 किलोमीटर लंबी महानदी लगभग समान रूप से विभाजित होकर छत्तीसगढ़ (53.9 फीसदी) और ओडिशा (45.73 फीसदी) के बीच बहती है।
- हीराकुड बांध के साथ महानदी, ओडिशा राज्य की जीवन रेखा है और इस क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- विवाद का मुख्य आधार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महानदी पर लगभग 6 जल भण्डारण संरचनाओं/बैराजों का निर्माण है। इसके कारण हीराकुंड बांध को आवश्यक जल की प्राप्ति में कठिनाई हो सकती है।

1.2. विशेष राज्य के दर्जे की मांग

(Demand for Special Category Status)

सुर्खियों में क्यों?

- आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग ने राज्य भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन तथा संसद में बहस को प्रेरित किया है।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- एक विशेष श्रेणी राज्य की अवधारणा को पहली बार **5वें वित्त आयोग द्वारा 1969 में** प्रस्तुत किया गया था।
- विशेष राज्य के दर्जे के लिए कुछ आवश्यक विशेषतायें थीं :

✓ पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र;

✓ कम जनसंख्या घनत्व या आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा;

✓ पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर सामरिक स्थान;

✓ आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन;

✓ राज्य वित्त की अलाभकारी (non-viable) प्रकृति।

- विशेष राज्य के दर्जे पर निर्णय करने का अधिकार पहले राष्ट्रीय विकास परिषद के पास था।

वर्तमान स्थिति

2015-16 के बजट से परिवर्तन दिखने लगे। राज्यों को केंद्रीय करों में 42 प्रतिशत का उच्च हिस्सा मिलना प्रारंभ होने पर, केंद्र ने विशेष राज्य के दर्जे (SCS) के साथ मिलने वाले लाभों को कम कर दिया। इसके साथ ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत किए जाने वाले व्यय में भी कटौती कर दी गयी।

विशेष श्रेणी का राज्य होने के लाभ

विशेष राज्य होने से प्राप्त होने वाले लाभों की प्रकृति, कई राज्यों को इस प्रकार की मांग करने के लिए प्रेरित करती है:

- सामान्य केंद्रीय सहायता (Normal Central Assistance) का एक बड़ा हिस्सा (56.25%) 11 विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच तथा शेष (43.75%) 18 सामान्य श्रेणी राज्यों के बीच वितरित किया जाता है।
- केवल विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए विशेष योजना सहायता (Special Plan Assistance) और विशेष केन्द्रीय सहायता (Special Central Assistance) अनुदान प्रदान किया जाता है।
- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (Externally Aided Projects: EAPs) के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु 90 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है जबकि सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए, यह ऋण के रूप में प्रदान की जाती है।
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य द्वारा प्राप्त हिस्सा सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए कम है।
- विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए उत्पाद शुल्क में महत्वपूर्ण रियायत व अन्य तरह के कर से छूट प्राप्त होती है जिससे इन राज्यों में उद्योगों और विनिर्माण इकाइयों को आकर्षित करने में सहायता मिलती है।
- केंद्रीय कर राजस्व के बंटवारे के सन्दर्भ में विशेष राज्यों से कोई विशेष व्यवहार नहीं किया जाता है।

1.3.प्रतिस्पर्धी संघवाद

(Competitive Federalism)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल के अध्ययनों से भारतीय अर्थव्यवस्था में सफल प्रतिस्पर्धी संघवाद के लक्षण दिखाई दिए हैं, विशेष रूप से व्यापार व्यवस्था को सरल बनाने के सन्दर्भ में। राज्य सुधार प्रक्रिया के माध्यम से निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।

प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या है?

- प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद एक अवधारणा है जहां केंद्र राज्यों से और राज्य आपस में भारत के संयुक्त रूप से विकास के प्रयास में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- इस संकल्पना के अंतर्गत एक नीति के समूचे राष्ट्र के लिए उपयुक्त होने के बजाय विभिन्न राज्यों की प्राथमिकताओं के आधार पर भिन्न –भिन्न नीतियाँ अपनाई जाती हैं।
- प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की अवधारणा नीचे से ऊपर (bottom-up) की ओर विकास की अवधारणा पर टिकी हुई है क्योकि इसमें विकास प्रक्रिया मूल रूप से राज्यों द्वारा निर्धारित होती है।

VISION IAS

- संयुक्त राज्य अमेरिका के लिबर्टी फाउंडेशन द्वारा प्रतिपादित प्रतिस्पर्धी संघवाद की अवधारणा के अनुसार यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राज्य विस्तृत मुद्दों पर न्यूनतम लागत पर अपने नागरिकों को सर्वोत्तम सेवाएँ और वस्तुएँ प्रदान करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं।

1.4. अंतर्राज्यीय परिषद (ISC) की बैठक

(Inter-State Council Meeting)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में 10 वर्षों के अंतराल के बाद अंतर्राज्यीय परिषद (ISC) की ग्यारहवीं बैठक आयोजित की गयी।

ISC क्या है?

- **अनुच्छेद 263** राज्यों के बीच तथा केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है।
- यह संघ और राज्यों के बीच समन्वय के लिए कोई **स्थायी संवैधानिक संस्था नहीं** है। वस्तुतः इसे किसी भी समय गठित किया जा सकता है, बशर्ते राष्ट्रपति को जनता के हित के लिए ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो।
- पहली बार सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 28 मई, 1990 को राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा ISC का गठन किया गया था।
- ISC की प्रति वर्ष तीन बैठकें निर्धारित की गयीं हैं लेकिन 26 वर्षों में इसकी केवल 11 बार बैठक हो पायी है।

संरचना

- प्रधानमंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

सदस्य:

- प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के केंद्रीय मंत्री।
- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री।
- विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा गैर विधान सभा वाले केद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक।

1.5. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक

(Western Zonal Council Meeting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 22वीं बैठक केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में अक्टूबर, 2016 में आयोजित की गई।
- क्षेत्रीय परिषदों को अर्थव्यवस्था और सामाजिक नियोजन, सीमा विवाद, अंतर-राज्य परिवहन और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और सिफारिशें देने का अधिदेश (मैंडेट) प्राप्त है।

महत्व

- क्षेत्रीय परिषद इन राज्यों के बीच सहकारी तरीके से काम करने की प्रवृत्ति विकसित करने में मदद करती है। बैठक में चर्चा द्वारा विभिन्न पहलुओं और एजेंडे से राज्यों के बीच सौहार्द्र में वृद्धि होगी।
- क्षेत्रीय परिषदें अंतर-राज्यीय समस्याओं को सुलझाने और संबंधित क्षेत्रों के संतुलित सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ स्वस्थ अंतर-राज्य और केन्द्र-राज्य संबंध के विकास को भी सुगम बनाएंगी।

क्षेत्रीय परिषदों के बारे में

- क्षेत्रीय परिषदों का विचार राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की रिपोर्ट पर बहस के दौरान उभरा।
- पंडित नेहरू की दृष्टिकोण के आलोक में, पांच क्षेत्रीय परिषदों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित की गईं (क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय नहीं हैं, वे सांविधिक निकाय हैं)
- उत्तरी क्षेत्रीय परिषद
- केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद
- पूर्वी क्षेत्रीय परिषद
- पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद
- दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद

* पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् (i) असम (ii) अरुणाचल प्रदेश (iii) मणिपुर (iv) त्रिपुरा (v) मिजोरम (vi) मेघालय (vii) नगालैंड और (viii) सिक्किम क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं हैं और उनकी विशिष्ट समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद द्वारा देखा जाता है, जो पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित है।

1.6. संघ राज्य क्षेत्रों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियाँ

(Lieutenant Governor Powers in UT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

* पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा दिए गए बयान के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियों पर वाद-विवाद प्रारंभ हो गया है। उन्होंने अपने बयान में यह कहा था कि परिस्थितियों के आधार पर वह विधायिका की अनदेखी कर सकती हैं।

* पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को **संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963** द्वारा निर्देशित किया जाता है।
* **दिल्ली का संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991** एवं **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन कार्य संचालन नियम, 1993** द्वारा प्रशासित किया जाता है।

संघ राज्य क्षेत्र (UTs) एवं इसका प्रशासन

* **प्रत्येक UTs** का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उसके द्वारा नियुक्त "प्रशासक" के माध्यम से किया जाता है।
* **UTs** के प्रशासक को राज्यपाल के समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, किन्तु वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि मात्र होता है, राज्यपाल की भांति संवैधानिक प्रमुख नहीं होता है।
* प्रशासक को **लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ कमिश्नर या प्रशासक** के रूप में नामित किया जा सकता है।
* संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की शक्तियों और कार्यों को भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 239 और 239AA** के तहत् परिभाषित किया जाता है।
* दिल्ली और पुडुचेरी के **UTs** हेतु विधान सभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। इसलिए इन दोनों **UTs** के प्रशासकों को मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श के आधार पर कार्य करना होता है।
* अनुच्छेद 239 AA दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है।

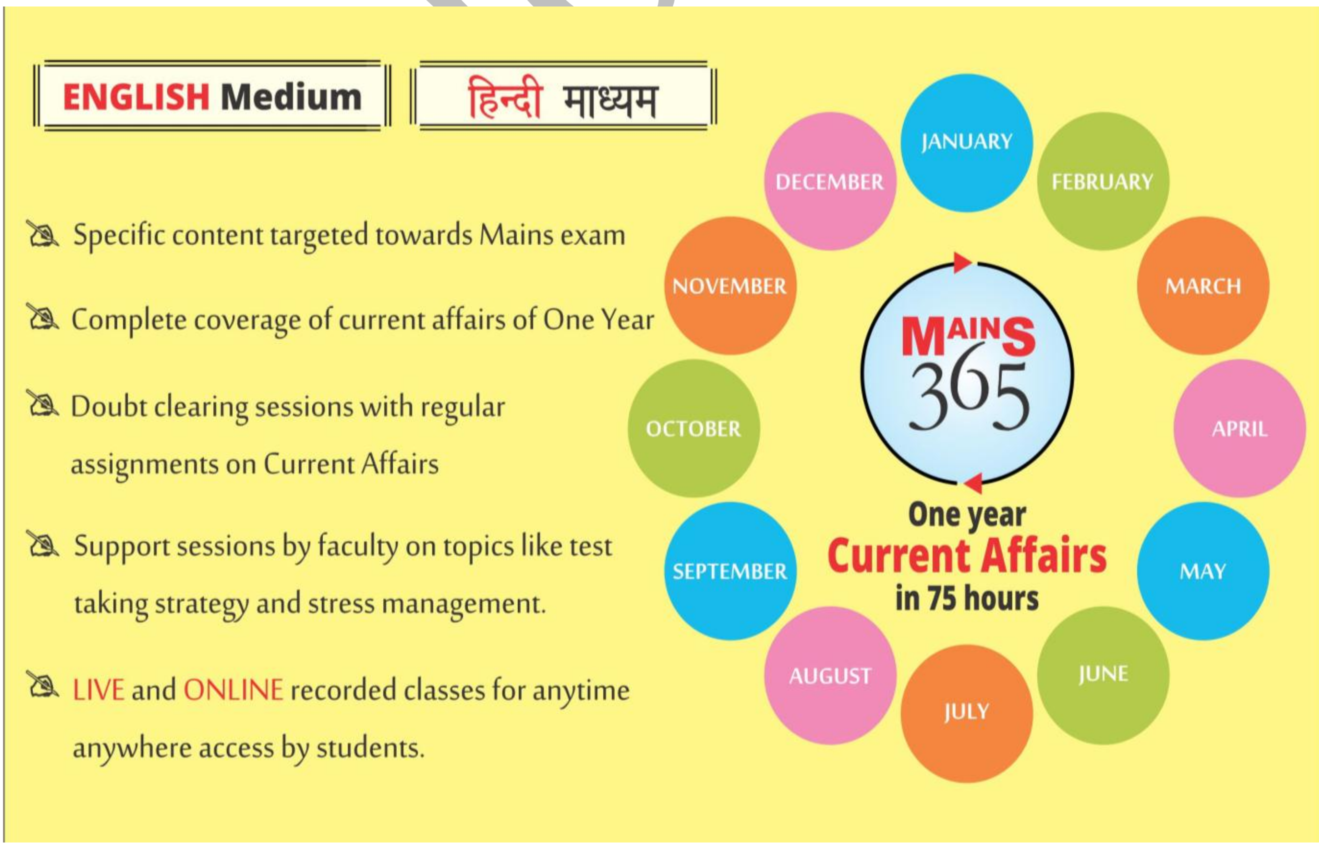

2. संविधान और संसद / राज्य विधान मंडल के कार्य से संबंधित मुद्दे

(ISSUES RELATED TO CONSTITUTION AND FUNCTIONING OF PARLIAMENT/ STATE LEGISLATURE)

2.1. अनुच्छेद 370

(Article 370)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस बयान के बाद अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई जब उन्होंने कहा कि जो लोग अनुच्छेद 370 को कमजोर करने का काम कर रहे हैं वह राष्ट्र विरोधी हैं।

पृष्ठभूमि

- जम्मू -कश्मीर उच्च न्यायालय (अक्टूबर 2015 में) ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 370 ने संविधान में एक स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया है और इसकी विशेषताएं ऐसी हैं कि इसको संशोधित, निरसित या रद्द करना संभव नहीं है।
- नवंबर, 2016 में एक नई अपील में उच्चतम न्यायलय ने अनुच्छेद 370 से जुड़ी अनुलंघनीयता का परीक्षण करने हेतु अपनी सहमति दी है।
- अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35A और जम्मू –कश्मीर की विशेष स्थिति को चुनौती देने से सम्बंधित चार महत्वपूर्ण मामले उच्चतम न्यायलय में और दो दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित हैं।

अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35A

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 एक 'अस्थायी उपबंध'** है जोकि जम्मू –कश्मीर को एक विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान करता है।
- **रक्षा, विदेश मामलों, वित्त तथा संचार** को छोड़कर अन्य कानूनों को लागू करने हेतु संसद को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है।
- अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासियों को अधिकार और विशेषाधिकार देता है, और विधायिका को यह अधिकार देता है कि अन्य राज्यों के लोगों की समानता के अधिकार या भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए किसी अन्य अधिकार का हनन हो रहा है तो भी वह कानून बना सकती है।

जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा

- **विधायी शक्तियां:** अन्य भारतीयों की तुलना में राज्य के नागरिक, कानूनों के एक अलग सेट के अंतर्गत शासित होते हैं, जिनमें नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मूल अधिकार शामिल हैं।
- **क्षेत्र:** भारतीय संसद राज्य की सीमाओं को घटा या बढ़ा नहीं सकती और अन्य राज्यों के भारतीय नागरिक जम्मू और कश्मीर में भूमि या संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं।

आपातकालीन प्रावधान

- केंद्र सरकार आंतरिक अशांति या आसन्न खतरे के आधार पर आपातकाल घोषित नहीं कर सकती जब तक कि राज्य अनुरोध न करे या राज्य की सहमति ना हो।
- केंद्र केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में राज्य में आपातकाल घोषित कर सकता है।
- केंद्र के पास राज्य में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित करने की कोई शक्ति नहीं है।

संवैधानिक संशोधनः जम्मू-कश्मीर पर कोई संवैधानिक संशोधन राष्ट्रपति द्वारा आदेश जारी करने के बाद ही लागू होता है।

2.2. संविधान की आठवीं अनुसूची

(Eighth Schedule of Constitution)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हिन्दी के प्रोफेसरों के एक समूह ने हिन्दी की बोलियों जैसे भोजपुरी और राजस्थानी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित न करने हेतु प्रधानमंत्री को लिखा है।

आठवीं अनुसूची के संबंध में

- संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ सम्मिलित हैं। आरम्भिक रूप से संविधान की आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएँ सम्मिलित थीं।
- 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को 1992 में जोड़ा गया था।
- बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2004 में जोड़ा गया था।
- वर्तमान में, आठवीं अनुसूची में न्यूनतम 38 और भाषाओं को जोड़े जाने की मांग है।
- आठवीं अनुसूची में भाषाओं के समावेश के लिए "मापदंडों का कोई स्थापित सेट नहीं" है।
- आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं के समावेश के लिए वस्तुनिष्ठ मापदंडों का सेट विकसित करने के लिए सीताकांत महापात्र समिति स्थापित की गई थी जिसने 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- उपर्युक्त रिपोर्ट केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

2.3. लोक लेखा समिति

(Public Accounts Committee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में RBI के गवर्नर उर्जित पटेल विमुद्रीकरण के प्रभावों की जानकारी देने हेतु लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee:PAC) के समक्ष प्रस्तुत हुए।
- इस दौरान एक विवाद यह भी सामने आया कि क्या PAC प्रधानमंत्री को समन भेज सकती है।

लोक लेखा समिति के बारे में

- **PAC 1921 से अस्तित्व में है और इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत** की गई थी।
- यह सरकार के वित्त पर संसदीय निरीक्षण हेतु संसद द्वारा **प्रतिवर्ष** गठित की जाती है।
- यह एक संयुक्त समिति है, जिसमें **लोक सभा से 15 तथा राज्यसभा से 7 सदस्य** होते हैं, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से निर्वाचित होते हैं।
- 1967 के बाद से परंपरागत रूप से इसका अध्यक्ष **विपक्षी दल** से चुना जाता है।
- समिति को साक्ष्य तथा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु गवाहों को तलब करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- समिति की सभी मंत्रणाएँ गोपनीय होती हैं।
- सरकार PAC की अनुशंसाओं के आधार पर की गई **कार्रवाई का प्रतिवेदन** प्रस्तुत करती है जिसे संसद के पटल पर रखा जाता है।

समिति के प्राथमिक कार्य

- केंद्र सरकार के विनियोग खातों एवं वित्त खातों की जाँच और लोकसभा के समक्ष रखे गए अन्य खातों की जाँच।
- विनियोग खातों और इस पर CAG की रिपोर्ट की जाँच में समिति को स्वयं को इस बात के लिए पुष्ट करना होता है कि:
- जिस राशि का व्यय किया गया है वह उसी सेवा या प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह उपलब्ध या भारित थी;
- व्यय प्राधिकार के अनुसार किया गया है, और
- प्रत्येक पुनर्विनियोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत इस संबंध में किए गए प्रावधानों के अनुसार किया गया है।
- विभिन्न स्वायत्त और अर्द्ध स्वायत्त निकायों के लेखाओं की जाँच करना, जिनकी लेखा परीक्षा CAG द्वारा की जाती है।
- यह वास्तविक स्वीकृत राशि की तुलना में हुए अधिक या कम व्यय के औचित्य का निर्धारण करती है।
- हालांकि, समिति के कार्यों का विस्तार "व्यय की औपचारिकता से आगे देश की अर्थव्यवस्था हेतु अपने विवेक एवं विश्वसनीयता के संप्रयोग तक है", और इस प्रकार समिति घाटे, अनावश्यक व्यय और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच करती है।
- समिति अल्प-आकलन, कर चोरी, शुल्कों का आरोपण न किया जाना, गलत वर्गीकरण आदि से सम्बंधित मामलों की जाँच करती है, कराधान कानूनों और प्रक्रियाओं में खामियों की पहचान करती है और राजस्व के रिसाव (लीकेज) की जांच करने के लिए अनुशंसाएँ करती है।

2.4. दल बदल विरोधी क़ानून

(Anti Defection Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पिछले कुछ वर्षों में यह प्रवृति देखने में आयी है कि विधायक अपने सदन की सदस्यता गंवाए बिना सत्तारूढ़ दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं जिससे भारत में इस क़ानून की व्यवहारिकता पर प्रश्न उठने लगे है।

दल बदल विरोधी कानून क्या है?

- दल बदल विरोधी क़ानून 1985 में संसद द्वारा पारित किया गया था।
- **52वें संविधान** संशोधन के द्वारा **दसवीं अनुसूची** जोड़ी गयी जिसके तहत दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया।
- यदि कोई सांसद या विधायक स्वैच्छिक रूप से त्यागपत्र देता है या पार्टी नेतृत्व के निर्देशों के खिलाफ (पार्टी व्हिप के खिलाफ) मतदान करता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो वह अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- कोई मनोनीत सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो वह छह माह के भीतर किसी पार्टी में शामिल हो सकता है; इस अवधि के बाद; वे किसी पार्टी के सदस्य या निर्दलीय सदस्य के रूप में माने जायेंगे।
- इस क़ानून के तहत कुछ अपवाद भी हैं:

✓ अध्यक्ष या सभापति के रूप में निर्वाचित कोई व्यक्ति अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है तथा पद छोड़ने के बाद फिर से अपनी पार्टी में शामिल हो सकता है।

✓ किसी दल के दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत के आधार पर उस दल का किसी अन्य दल में विलय हो सकता है।

- प्रारम्भ में इस क़ानून के तहत विभाजन मान्य था लेकिन अब इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है।

2.4.1. सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की अध्यक्ष की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

(SC Ruling on Speaker's Power to Disqualify Members)

सुर्खियों में क्यों?

- अरुणाचल प्रदेश संकट पर फैसले के हिस्से के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल के लिए विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने का निर्णय लेने से उस स्थिति में बचना चाहिए जबकि स्वयं उसके विरुद्ध पद से हटाए जाने के लिए संकल्प का नोटिस लंबित है।
- दसवीं अनुसूची के अनुसार दल परिवर्तन के आधार पर निरहर्ता के प्रश्नों पर अध्यक्ष या सभापति का विनिश्चय अंतिम होगा।
- इसके साथ ही, "इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय को इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरहर्ता से सम्बंधित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी।"

2.5. राष्ट्रीय प्रतीक

(National Symbols)

2.5.1. राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान

(Respecting National Symbols)

श्याम नारायण चौकसे मामले में (राष्ट्र गान आदेश), उच्चतम न्यायालय ने सभी सिनेमा हॉल को फिल्मों के प्रारम्भ में राष्ट्र गान बजाने का निर्देश दिया।

राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में विधान और नियम

- **संविधान के अनुच्छेद 51A** के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए अपने आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र गान का सम्मान करना एक **मौलिक कर्तव्य** है।
- **प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971** संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र गान के अपमान के मामले से संबंधित है और इन प्रतीकों के अपमान पर दंडात्मक प्रावधान करता है।
- भारतीय ध्वज संहिता, 2002 एक क़ानून नहीं है बल्कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कार्यकारी निर्देशों का एक समेकन है और इसके तहत राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर रोक लगाने वाले व्यवहारों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के तहत प्रावधान

- भारत के राष्ट्र ध्वज या भारतीय संविधान का अपमान करने के मामले में अधिनियम की **धारा 2** के तहत जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के अधिकतम 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है।
- इसमें राष्ट्रीय ध्वज या संविधान के प्रति अनादर या अवमानना जैसे कि उसे जलाना, नष्ट करना, विकृत करना, अशुद्ध करना आदि शामिल है।
- **धारा 3** के तहत राष्ट्र गान के अपमान को अपराध घोषित किया गया है।
- इस अधिनियम या भारतीय दंड संहिता, 1960 की किसी भी धारा के तहत राष्ट्र गान बजने के दौरान किसी नागरिक पर खड़े होने की अनिवार्यता लागू नहीं की गई है।

2.5.2. राष्ट्रीय गीत का प्रचार

(Promotion of National Song)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और एक 'राष्ट्रीय गीत' को बढ़ावा देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 51 A** के तहत राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने हेतु दायर एक याचिका को खारिज कर दिया।

✓ सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यालयों, अदालतों, विधानसभाओं और संसद में राष्ट्रीय गान अनिवार्य बनाने की याचिका को भी खारिज कर दिया।

✓ हालांकि अदालत ने, स्कूलों को काम के दिनों में राष्ट्रीय गान बजाना चाहिए या गाना चाहिए से सम्बंधित याचिका को आगे विचार के लिए सुरक्षित रखा है।

राष्ट्रीय गीत

- हमारा राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' है, जिसे बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में लिखा गया था।
- यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 सत्र में गाया गया था।

राष्ट्रगान

- भारतीय राष्ट्रगान मूल रूप से बंगाली में रचित रवींद्रनाथ टैगोर की रचना 'जन गण मन' का पहला छंद है।
- आबिद अली द्वारा इसका हिन्दी और उर्दू में अनुवाद किया गया था।
- यह पहली बार 1911 में कांग्रेस के सम्मेलन में गाया गया था।

2.6. राज्यसभा में संयुक्त समूह

(United Group in Rajya sabha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत के उप-राष्ट्रपति ने 22 सांसदों के एक समूह को औपचारिक रूप से राज्यसभा में संयुक्त समूह के रूप में मान्यता प्रदान की। इनमें चार से कम सांसदों वाली पार्टियों से सम्बंधित और कुछ निर्दलीय सांसद शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

- भारतीय संसद के इतिहास में यह तीसरी बार है जब ऐसे किसी समूह को मान्यता दी गई है।
- **1983 में,** पहली बार राज्यसभा के तत्कालीन सभापति द्वारा इस तरह के समेकित समूह को मान्यता दी गई थी। **इसे सदस्यों का संयुक्त संघ (United Associations of Members)** नाम दिया गया था।
- 1990 में, राज्य सभा के तत्कालीन सभापति ने सांसदों के संगठित समूह को मान्यता प्रदान कर इसका संयुक्त समूह (United Group) के रूप में पुनर्नामिकरण किया था।

संयुक्त समूह के बारे में

- यह संयुक्त समूह कांग्रेस और भाजपा के बाद राज्यसभा में सांसदों का तीसरा सबसे बड़ा समूह होगा।
- इस समूह को कार्य मंत्रणा समिति (Business Advisory Committee (BAC)) में स्थान प्राप्त होगा। यह समिति समय आवंटन का निर्णय करती है।

VISION IAS

2.7. चयन का अधिकार

(Right to choose)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, *बिहार राज्य बनाम भारतीय मादक पेय कंपनियों का परिसंघ* (2016) मामले में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में मादक पदार्थों पर लगाए गए 'निषेध' को असंवैधानिक करार दिया।

पृष्ठभूमि

- बिहार सरकार ने बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1915 के तहत एक अधिसूचना जारी कर एल्कोहल के विनिर्माण, बिक्री और वितरण तथा साथ ही इसके उपभोग या संग्रहण पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- इसके साथ ही इसके द्वारा ऐसे मामलों में अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी अभियुक्त पर डाल दी गई। यह पूर्व प्रचलित विधि के विपरीत है।
- हालांकि उच्चतम न्यायालय ने, पटना उच्च न्यायालय के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी तथा बिहार में एक कठोर निषेध कानून को बनाए रखने की अनुमति दी।

चयन का अधिकार व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है जिसका आशय है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से जुड़े उसके निर्णयों का सम्मान किया जाना चाहिए, जब तक कि वो समाज के लिए कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं कर रहा/रही हो।

2.8. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

(Freedom of Speech and Expresssion)

- केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के द्वारा बॉलीवुड फिल्म 'उड़ता पंजाब' के निर्माताओं को फिल्म में पंजाब से संबंधित सभी संदर्भों को हटा देने के लिए कहा गया।
- बाद में बंबई उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि फिल्म को एक कट और डिस्क्लेमर के साथ 'वयस्क' (Adult) श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रदर्शित होने दिया जाए।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के कई प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के लिए 1969 में जी.डी. खोसला रिपोर्ट में तब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर कहे जाने वाले बोर्ड में स्वतंत्र सदस्यों को शामिल किए जाने की सिफारिश की गई थी।
- **श्याम बेनेगल समिति के द्वारा एक व्यावहारिक समाधान की पेशकश की गई है:** जिसके अनुसार CBFC को केवल फिल्म को प्रमाणित करना चाहिए तथा यह प्रमाणन दर्शक समूहों के अनुसार फिल्म के वर्गीकरण का कार्य करने तक सीमित होना चाहिए।

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1) (a) के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हालांकि, यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। राज्य, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध-उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकता है।

2.9 अनुच्छेद 224-A

(Article 224-A)

- त्रिपुरा उच्च न्यायालय में अस्वीकार (Recusal) से सम्बंधित समस्या के सन्दर्भ में, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 224-A का उपयोग करने की संभावना की तलाश करने को कहा है।
- संविधान के अनुच्छेद 224-A के अनुसार " किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से, जो उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा। "

VISION IAS

2.10 संविधान का अनुच्छेद 174

(Article 174 of the Constitution)

- अनुच्छेद 174 के तहत गोवा विधानसभा के सत्र को अनिवार्य रूप से बुलाने (summoning) या भंग करने से सम्बंधित याचिका मुम्बई उच्च न्यायालय में दायर की गई है।
- अनुच्छेद 174 के तहत, गवर्नर का यह कर्तव्य है कि एक सत्र के पिछली बैठक के छह महीने के अंदर विधानसभा के दुसरे सत्र की बैठक बुलाए।

परिणामस्वरूप, गोवा सरकार ने राज्य विधान सभा के एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया।

3. कार्यपालिका

(EXECUTIVE)

3.1. अध्यादेश पर उच्चतम न्यायालय का वक्तव्य

(Supreme Court on Ordinances)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- बिहार सरकार ने **1989 के एक अध्यादेश को लगातार सात बार पुनर्प्रख्यापित किया,** जिसके द्वारा सरकार ने इस विधेयक को एक बार भी राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए बिना बिहार में 429 से अधिक संस्कृत विद्यालयों का अधिग्रहण किया था।
- इसके अतिरिक्त हाल ही में, **कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य** मामले में उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि अध्यादेश को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत न करना शक्ति का दुरुपयोग और संविधान के साथ धोखाधड़ी है।
- उच्चतम न्यायालय ने 1986 में डी.सी वाधवा मामले में पहले ही निर्णय दिया था कि अध्यादेशों को बारम्बार पुनर्प्रख्यापित करना असंवैधानिक है।

संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 क्रमश: राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- संविधान के तहत, एक अध्यादेश केवल तभी प्रख्यापित किया जा सकता है जब
- विधानमंडल या विधानमंडल के किसी भी सदन का सत्र नहीं चल रहा हो।
- ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है।
- अध्यादेशों को संसद के पुन: समवेत होने के छः सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अवश्य स्वीकृत किया जाना चाहिए अन्यथा वे कार्य करना समाप्त कर देंगे। वे उस स्थिति में भी कार्य करना बंद कर देंगे यदि अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाला कोई प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए।
- अध्यादेश ऐसे किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है, जिस पर संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। साथ ही, इन पर भी वही सीमाएं आरोपित हैं जो संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों के अंतर्गत शक्तियों के वितरण के संदर्भ में संसद के कानून बनाने पर हैं।
- अध्यादेश बनाने के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां मोटे तौर काफी हद तक एक समान हैं। हालांकि, राज्यपाल ऐसे कुछ मामलों में राष्ट्रपति के निर्देशों के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, जहां इसी विषय से सम्बंधित विधेयक को पारित करने हेतु राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक हो।

3.2. क्षमादान की शक्ति: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

(SC Ruling: Power of Pardon)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय दिया कि कार्यपालिका की क्षमादान की शक्ति को **सुप्रीम कोर्ट द्वारा तब तक प्रश्नगत नहीं किया जा सकता** जब तक कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो।
- सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार **अनुच्छेद 32** (संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जहाँ व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उपचार प्राप्त कर सकता है) को **केवल तभी प्रयोग में लाया जा सकता है, जब किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो** या जहां कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत मामला जनहित याचिका की परिभाषा के दायरे में आता हो।

राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां:

- **अनुच्छेद 72** में उल्लिखित राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां **अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को** दी गई क्षमादान की शक्तियों से भिन्न है। राष्ट्रपति को राज्यपाल की तुलना में अनुच्छेद 72 के तहत **व्यापक शक्तियाँ** प्राप्त हैं।
- ऐसे मामले में जहां दोषी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है, केवल राष्ट्रपति को उसे क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है। **राज्यपाल को मृत्यु दंड की सजा को क्षमा करने का अधिकार नहीं है,** हालाँकि वे मृत्युदंड की स्थिति में निलंबन, लघुकरण या परिहार की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।

VISION IAS

- राष्ट्रपति **कोर्ट मार्शल** के तहत दिए गए दंड को भी क्षमा कर सकते हैं जबकि राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है।
- राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को ही मृत्युदंड के मामले में निलंबन, लघुकरण और परिहार की शक्ति के संबंध में समवर्ती अधिकार प्राप्त हैं।

3.3. अरुणाचल प्रदेश सरकार की पुनर्बहाली

(Arunachal Pradesh Government Restored)

सुर्खियों में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को पुनर्बहाल कर राज्यपाल के द्वारा पूर्व में लिए गए सभी निर्णयों को "असंवैधानिक" घोषित कर दिया।
- उल्लेखनीय है कि अरुणाचल प्रदेश में वहां के राज्यपाल के फैसले के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तथा बाद में नई सरकार का गठन भी किया गया था।
- भविष्य में, यह निर्णय अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने में मददगार होगा।

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)

- किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन ऐसी परिस्थितियों में आरोपित किया जा सकता है, जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें उस राज्य का शासन कार्य संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता हो।
- एक बार राष्ट्रपति शासन आरोपित किए जाने के पश्चात राज्य का विधान मंडल कार्य करना बंद कर देता है तथा राज्य का सम्पूर्ण प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाता है। इस दौरान राज्य की विधानसभा सामान्यतः निलंबित रहती है।

3.4. मणिपुर विधानसभा द्वारा पारित तीन बिल राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत

(President Rejects Three Bills Passed by Manipur)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा मणिपुर विधानसभा द्वारा 31 अगस्त, 2015 को पारित तीन विधेयकों को वापस लौटा दिया गया।
- पिछले वर्ष से मणिपुर को इन विधेयकों के संबंध में विभिन्न रूपों में अनेक विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा है।
- विवादास्पद विधेयकों में मणिपुर भूमि सुधार और भू-राजस्व (7वाँ संशोधन) विधेयक, 2015, मणिपुर दुकान और प्रतिष्ठान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 और मणिपुर जन संरक्षण विधेयक, 2015 शामिल है।
- संवैधानिक एवं विधि विशेषज्ञ तीनों विधेयकों का पुनर्परीक्षण करेंगे। प्रथम दो विधेयकों का परीक्षण 'उचित निष्कर्ष' के लिए तथा तीसरे विधेयक का परीक्षण मणिपुर के पहाड़ी और घाटी क्षेत्र के निवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- भारत के साथ मणिपुर का विलय 15 अक्टूबर, 1949 को हुआ। विलय से पहले, मणिपुर राज्य में प्रवेश एक परमिट प्रणाली द्वारा विनियमित था, जिसे बाद में समाप्त कर दिया गया था।
- यह परमिट **इनर लाइन परमिट (ILP)** के रूप में जाना जाता था। यह प्रणाली ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए शुरू की गई थी। बाद में, वहाँ के जनजातीय लोगों और उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए एक उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया गया।
- चूंकि मणिपुर आधिकारिक तौर पर एक आदिवासी राज्य नहीं है, वहाँ ILP प्रणाली को लागू करने के मार्ग में संवैधानिक चुनौतियाँ हैं।

इनर लाइन परमिट सिस्टम (ILPS)

- *इनर लाइन परमिट,* गैर-अधिवासी नागरिकों (non-domicile citizens) के किसी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश को नियमित करता है।
- ब्रिटिश इस प्रणाली का प्रयोग पहाड़ों से आने वाले हमलावर जनजातीय समुदायों से पूर्वोत्तर के अपने राजस्व उत्पादक क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए किया करते थे।
- वर्तमान समय में ILP के प्रयोग को पहाड़ी राज्यों की छोटी जनजातीय आबादियों की जनसांख्यिकीय, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तथा सामाजिक एकता को संरक्षण देने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है।
- वर्तमान में, इसे अरुणांचल प्रदेश, मिज़ोरम, तथा नागालैंड में लागू किया गया है।

VISION IAS

3.5. 'RTI के तहत महान्यायवादी की स्थिति' का पुनरीक्षण

(Review of Status of Attorney General under RTI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, कि महान्यायवादी (AG) का कार्यालय **RTI कानून के दायरे में नहीं आता**, क्योंकि यह अधिनियम की **धारा 2 (h)** के तहत सार्वजनिक प्राधिकारी नहीं है।

AG से संबंधित विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों में शामिल हैं:

- **अनुच्छेद 76** देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी के रूप में AG का उल्लेख करता है।
- **अनुच्छेद 88** संसद एवं संसदीय समिति में AG के अधिकारों का उल्लेख करता है। इनमें शामिल हैं:
  - ✓ उसे संसद के दोनों सदनों और उनकी संयुक्त बैठकों और संसद की किसी भी समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है।
  - ✓ किन्तु उसके पास संसद में मत देने का अधिकार नहीं है।
- **अनुच्छेद 105** में वर्णित है कि AG की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां संसद सदस्य के समान ही हैं।

3.6. दिल्ली में संसदीय सचिव से संबद्ध मुद्दा

(Parliamentary Secretary Issue in Delhi)

सुर्खियों में क्यों?

संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद की परिभाषा से छूट प्रदान करने संबंधी प्रावधान करने वाले दिल्ली विधान सभा सदस्य (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1997 को राष्ट्रपति कार्यालय के द्वारा स्वीकृति देने से इनकार कर दिया गया।

लाभ के पद की परिभाषा

संविधान में 'लाभ के पद' की परिभाषा नहीं दी गई है, किन्तु पूर्व निर्णयों के आधार पर निर्वाचन आयोग के द्वारा लाभ के पद के परीक्षण हेतु निम्नलिखित पांच प्रमुख कसौटियों को आधार माना गया है:

- क्या पद पर नियुक्ति सरकार के द्वारा की गई है?
- क्या पद के धारणकर्ता को सरकार अपनी स्वेच्छा से पद से हटा सकती है?
- क्या पारिश्रमिक का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है?
- पद के धारणकर्ता के कार्य क्या हैं?
- क्या इन कार्यों को संपन्न करने की प्रक्रिया पर सरकार का नियंत्रण बना रहता है?

संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के **अनुच्छेद 102 (1) (क) और अनुच्छेद 191 (1) (क)** के तहत कोई व्यक्ति संसद के एक सदस्य के रूप में या एक विधान सभा / परिषद की सदस्यता के लिए निरर्ह होगा अगर वह केंद्रीय या किसी राज्य सरकार (बशर्ते कि संसद या राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी अन्य कानून द्वारा ऐसे पद को लाभ के पद की परिभाषा से छूट न प्रदान कर दी गई हो) के अंतर्गत **"लाभ का पद"** धारण करता है।
- **अनुच्छेद 164(1A)** के अनुसार मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या का अधिकतम 15 प्रतिशत (अपनी विशेष स्थिति के कारण दिल्ली के लिए यह सीमा 10% है) ही हो सकती है। अतः संसदीय सचिव का पद संविधान के इस अनुच्छेद का भी उल्लंघन करता है, क्योंकि एक संसदीय सचिव का दर्जा राज्य मंत्री के पद (संसद सचिव राज्य मंत्री की रैंक धारण करता है) के बराबर है जिससे कुल मंत्रियों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है।

संसदीय सचिव

- वेस्टमिंस्टर प्रणाली में संसदीय सचिव संसद का सदस्य होता है जो वरिष्ठतम मंत्रियों की उनके/उनकी कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करता है। मूल रूप से, इस पद का प्रयोग भावी मंत्रियों के लिए प्रशिक्षण आधार के रूप में किया जाता था।
- यह पद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे कई राज्यों में कभी-कभार सृजित किया गया है।
- हालांकि, उच्च न्यायालय में विभिन्न याचिकाओं ने संसदीय सचिव की नियुक्ति को चुनौती दी है।

VISION IAS

4. संवैधानिक, विनियामक और अन्य निकाय

(CONSTITUTIONAL, REGULATORY AND OTHER BODIES)

4.1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

[National Human Rights Commission (NHRC)]

सुर्खियों में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने NHRC की उन शिकायतों पर भी विचार-विमर्श करने का सुझाव दिया है, जिनके चलते आयोग को अपने कार्यों के संचालन में बाधाएं आती हैं।
- *UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स* से संबद्ध *ग्लोबल एलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स इन्स्टिट्यूशंस* (Global Alliance for National Human Rights Institutions: **GANHRI**] ने नवंबर 2017 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के पुनर्प्रत्यायन (re-accreditation) को स्थगित कर दिया है।
  - ✓ पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन के अलावा, प्रत्यायन राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और संरक्षण प्रदान करता है।
  - ✓ A-status प्रत्यायन (पेरिस सिद्धांतों का पूर्ण अनुपालन) राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (NHRIs) को *इंटरनेशनल कोआर्डिनेटिंग कमिटी* (ICC) के कार्यों में भागीदारी हेतु सक्षम बनाता है। साथ ही, *ह्यूमन राइट्स काउंसिल* और संयुक्त राष्ट्र के अन्य तंत्रों की प्रक्रिया और निर्णयन संबंधी कार्यों में शामिल होने की अनुमति देता है।

NHRC के बारे में

- यह एक सांविधिक संस्था है, जिसका गठन वर्ष 1993 में 'मानवाधिकार संरक्षण क़ानून,1993' के तहत किया गया था। मानवाधिकार के क्षेत्र में यह सर्वोच्च संस्था जीवन, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा जैसे मानवाधिकारों, जो संविधान और अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों पर आधारित हैं, के संरक्षण और प्रसार का कार्य करती है।
- यह शीर्ष निकाय भारत के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा प्रदत्त जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्तियों की मर्यादा से संबंधित मानवाधिकारों की सुरक्षा और प्रोत्साहन के लिए उत्तरदायी है।
- मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा चार अन्य सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा एक सदस्य उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। इसके अलावा 2 सदस्यों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी या कार्यानुभव होने चाहिए।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' के पदेन सदस्य होते हैं।

NHRC के समक्ष प्रमुख मुद्दे

- आयोग की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती है।
- अगर घटना के एक वर्ष पश्चात् कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो आयोग संबंधित घटना की जाँच नहीं कर सकता है।
- इस अधिनियम का विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य में नहीं है।
- मानवाधिकार संरक्षण कानून (1993) NHRC को निजी पक्षों द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में स्पष्ट रूप से शक्ति नहीं प्रदान की गई है।
- आयोग के पास किसी भी प्रकार की अवमानना शक्ति नहीं हैं, अतः इसकी सिफारिशों को समयबद्ध प्रक्रिया से लागू नहीं करने की दशा में यह आयोग संबंधित प्राधिकरणों को दंडित नहीं कर सकता।

पेरिस सिद्धांत (Paris Principles)

UN के पेरिस सिद्धांतों में अंतरराष्ट्रीय मानकों का प्रावधान किया गया है जिनके आधार पर NHRI को पांच प्रमुख मूल्यांकनों के तहत प्रत्यायन प्रदान किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि संस्थान :

VISION IAS

- मानवाधिकारों के उल्लंघन की किसी भी स्थिति पर नज़र रखें।
- सरकार को विशिष्ट मानवाधिकार उल्लंघनों पर, कानूनों से सम्बंधित और सामान्य अनुपालन पर तथा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निर्देशों के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर सलाह दे।
- क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध स्थापित करने में सक्षम हो।
- मानवाधिकारों के क्षेत्र में शिक्षित और सूचित करने की क्षमता से युक्त हो।
- तथा साथ ही कुछ संस्थानों को अर्ध-न्यायिक क्षमता दी जानी चाहिए।

4.2. नेट न्यूट्रलिटी पर TRAI का परामर्श पत्र

(TRAI Consultation Paper on Net Neutrality)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India: TRAI) द्वारा नेट न्यूट्रलिटी (NN) पर टिप्पणियों के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया गया है।

पृष्ठभूमि

- दूरसंचार विभाग द्वारा 2015 में नेट न्यूट्रलिटी पर ए.के. भार्गव समिति का गठन किया गया था।
- 2016 में, TRAI द्वारा नेट न्यूट्रलिटी पर एक पूर्व-परामर्श पत्र (pre-consultation paper) जारी किया गया।

नेट न्यूट्रलिटी

- इस शब्द का पहली बार टिम वू (Tim Wu) ने प्रयोग किया था।
- इसका अर्थ है- एक सार्वजनिक सूचना नेटवर्क पर उपस्थित सभी सामग्रियों, साइटों तथा प्लेटफॉर्मों के साथ एकसमान व्यवहार होना चाहिए।
- यह मुफ्त और खुले इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- यह प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए इंटरनेट की पहुँच , पसंद और पारदर्शिता सक्षम बनाता है।

TRAI के बारे में

यह TRAI अधिनियम 1997 के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है। यह टेलीकॉम सेवाओं के प्रशुल्कों के निर्धारण सहित टेलीकॉम सेवाओं का विनियमन करता है। यह एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीति प्रदान कर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की सुगम बनाता है।

4.3. मीडिया का विनियमन

(Regulation of Media)

4.3.1. मीडिया को विनियमित करने के लिए प्री-सेंसरशिप

(Pre-Censorship to Regulate Media)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 4 नवंबर, 2016 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने NDTV चैनल को पठानकोट एयरबेस पर हमले के कवरेज के दौरान कथित तौर पर 'रणनीतिक रूप से संवेदनशील' विवरण का खुलासा करने के लिए 9 नवंबर को एक दिन के लिए प्रसारण रोकने का आदेश दिया था।
- उच्चतम न्यायालय ने मीडिया पर प्रसारण-पूर्व या प्रकाशन-पूर्व सेंसरशिप न्यायालय द्वारा लगाये जाने से सम्बंधित एक जनहित याचिका को अस्वीकार कर दिया।
- न्यायालय ने कहा कि न्यायालय या किसी सांविधिक निकाय की भूमिका केवल सामग्री के प्रकाशन पश्चात शिकायत किये जाने के बाद ही होगी।

नियामक तंत्र के मौजूदा परिदृश्य

- भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अधिकांशतः स्व-विनियमित है।
- कई निजी चैनलों ने मिलकर स्वयं ही एक न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडड्र्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NBSA) का गठन किया है जो दिशा-निर्देशों के स्वरुप में मानकों को जारी करता है।
- NBSA को चेतावनी देने, सलाह देने (admonish), निंदा करने (censure), अस्वीकृति व्यक्त करने और संहिता (code) के उल्लंघन के लिए प्रसारक पर 1 लाख रुपए तक की राशि का जुर्माना लगाने की शक्ति दी गई है।

VISION IAS

- यदि कुछ अनुचित होता है, तो सरकार भी कदम उठा सकती है और चैनलों को दंड दे सकती है, जैसे एक दिन के लिए उनका प्रसारण बंद करना या इससे अधिक।

मीडिया के अन्य रूपों का विनियमन करने के लिए मौजूदा तंत्र

- **केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC):** फिल्मों और टीवी शो आदि की सामग्री को नियंत्रित करने के लिए।
- रेडियो चैनल उसी कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करते हैं जिसका अनुपालन ऑल इंडिया रेडियो (AIR) द्वारा किया जाता है।
- टेलीविजन पर प्रसारण सामग्री को विनियमित करने के लिए कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताएं, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत जारी की गई हैं।

भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (ASCI) ने भी विज्ञापन की सामग्री पर दिशा निर्देश तैयार किए हैं।

भारतीय प्रेस परिषद (PCI):

- प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 द्वारा स्थापित भारतीय प्रेस परिषद्, समाचार पत्रों, जर्नल, पत्रिकाओं और प्रिंट मीडिया के अन्य रूपों को विनियमित करने के लिए एक सांविधिक निकाय है।
- यह भारत में प्रेस के विनियमन के लिए शीर्ष निकाय है।
- इसे सरकार द्वारा स्वायत्तता प्राप्त है।
- यह भारत में प्रिंट मीडिया के लिए पेशेवर मानकों को निर्धारित और लागू करने वाले नियामक के रूप में कार्य करता है।
- लेकिन दिशा-निर्देशों की उल्लंघन की दशा में उन्हें दंडित करने की शक्ति इसके पास नहीं है।

न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (NBSA)

- यह *न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन* द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है।
- इसकी अध्यक्षता प्रख्यात कानूनविदों द्वारा की जाती है।
- इसका कार्य प्रसारण के बारे में शिकायतों पर विचार करना और निर्णय करना है।
- इसके द्वारा आचार संहिता और प्रसारण मानक निर्धारित किये गए हैं, जिसके उल्लंघन की दशा में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल (BCCC)

- जून 2011 में *इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन* (IBF) द्वारा स्थापित **BCCC,** *नॉन-न्यूज़ जनरल एंटरटेनमेंट चैनलों* के लिए एक स्वतंत्र स्व-नियामक निकाय है।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा BCCC के स्व-नियामक अधिदेश को तर्कसम्मत मान्यता दी गई है, जो इसके द्वारा प्राप्त /उत्पन्न शिकायतों को परिषद् के विचारार्थ भेज देती है।

4.4. गैर सरकारी संगठन

(NGOs)

4.4.1. भारत में गैर लाभकारी संगठन

(Non-Profit Organisations in India)

NPO की विधिक पहचान

भारतीय संदर्भ में, एक गैर लाभकारी संगठन (NPO) को निम्नलिखित के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है:

- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860
- भारतीय न्यास अधिनियम, 1882
- सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1904
- ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926
- भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8

सुर्ख़ियों में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गयी CBI की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 31 लाख से ज्यादा NGO उपस्थित हैं; जिनमें से केवल 8 से 10 फीसदी अपना वार्षिक वित्तीय विवरण देते हैं।
- उच्चतम न्यायालय ने मौजूदा NGOs के बारे में एक स्पष्ट डेटा बैंक की मांग की है। इसके साथ ही NGOs को संस्थागत और कानूनी ढांचा प्रदान करने की आवश्यकता है।

4.4.2. FCRA अधिनियम के तहत गैर-सरकारी संगठनों का विनियमन

(Regulation of NGOs under FCRA Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 2010 (FCRA 2010) के तहत, 33,000 NGOs में से लगभग 20,000 का लाइसेंस सरकार द्वारा रद्द कर उन्हें विदेशी धन प्राप्त करने से रोक दिया गया है।
- स्वतंत्र विश्लेषण से पता चला है कि गैर सरकारी संगठनों ने FCRA के उल्लंघन द्वारा लगभग 6000 करोड़ रुपए नकद और नकद समकक्ष संकलित किया है और कई अचल संपत्तियों का अधिग्रहण किया है।

FCRA, 2010 के बारे में

- कुछ व्यक्तियों या संगठनों या कंपनियों द्वारा विदेशी अंशदान या विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने और इसके उपयोग को FCRA, 2010 विनियमित करता है।
- यह राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी गतिविधि के लिए, विदेशी अंशदान या विदेशी आतिथ्य के उपयोग और स्वीकृति पर प्रतिबंध लगाता है।
- केवल अनुसंधान, प्रशिक्षण, जागरूकता, मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास तथा लोकोपकारी गतिविधियों के लिए इमारतों और अचल संपत्ति के रखरखाव हेतु ही अनुदान एकत्र किया जा सकता है।

4.4.3. सभी NGO को गृह मंत्रालय के अधीन लाने के लिए प्रस्ताव

(Proposal to bring all NGOs under Home Ministry)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- गृह मंत्रालय चाहता है कि वित्त मंत्रालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत गैर सरकारी संगठनों (NGO) की निगरानी की अपनी शक्तियाँ गृह मंत्रालय को सौंप दे।

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में, लगभग 100 अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन और संघ हैं जो कि अपने संपर्क कार्यालयों के माध्यम से विदेशी धन प्राप्त करते हैं और उन्हें पूरे भारत में गैर सरकारी संगठनों को बाँटते हैं।
- गृह मंत्रालय विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (FCRA) के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों और संघों को दान के रूप में प्राप्त विदेशी फंडों पर नजर रखता है।
- फोर्ड फाउंडेशन, यू.के. का इंटरनेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और कनाडा का इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर जैसे अंतर्राष्ट्रीय दानदाता FEMA के तहत पंजीकृत हैं, लेकिन विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (FCRA) के तहत नहीं ।

FEMA के बारे में

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (1999) या FEMA को पूर्व में कार्यरत विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम (FERA) के स्थान पर प्रस्तुत किया गया। FEMA 1 जून, 2000 को अस्तित्व में आया।
- इसका मुख्य उद्देश्य विदेश व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना, भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के सुव्यवस्थित विकास और उसकी स्थिरता के संवर्धन के साथ विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को सुदृढ़ और संशोधित करना था।

4.5. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

(National Consumer Disputes Redressal Commission)

सुर्खियों में क्यों?

- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 20 साल पहले रक्त आधान (blood transfusion) के बाद HIV संक्रमित एक मरीज को मुंबई के एक अस्पताल द्वारा 12,000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान करने के लिए आदेश दिया।

VISION IAS

NCDRC बारे में

- यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत 1988 में स्थापित एक अर्ध न्यायिक आयोग है।
- आयोग की अध्यक्षता भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के द्वारा की जाती है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत :

✓ एक करोड़ से अधिक मूल्य वाली शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।

✓ राज्य आयोगों या जिला स्तर पर विवाद निवारण संस्थाओ के द्वारा दिए गए निर्णयों के संबंध में इसका अपीलीय तथा पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार है।

- अधिनियम की धारा 23 के अनुसार मामले से प्रभावित व्यक्ति NCDRC के निर्णय के विरुद्ध, 30 दिनों की अवधि के भीतर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

- यह एक उदार सामाजिक विधान है जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को अधिकार प्रदान करने तथा उनके अधिकारों बढ़ावा देने और संरक्षण संबंधी प्रावधान किये गए हैं।
- उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इसके अंतर्गत केंद्र के साथ-साथ प्रत्येक राज्य और जिले में उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना को अधिदेशित किया गया है।
- केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की अध्यक्षता उपभोक्ता मामलों के विभाग के प्रभारी कैबिनेट मंत्री एवं राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की अध्यक्षता, राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्री, के द्वारा किये जाने का प्रावधान है।
- अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के तीव्र समाधान हेतु राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोगों तथा जिला फोरम की स्थापना के रूप में एक तीन-स्तरीय संरचना का प्रावधान किया गया है।

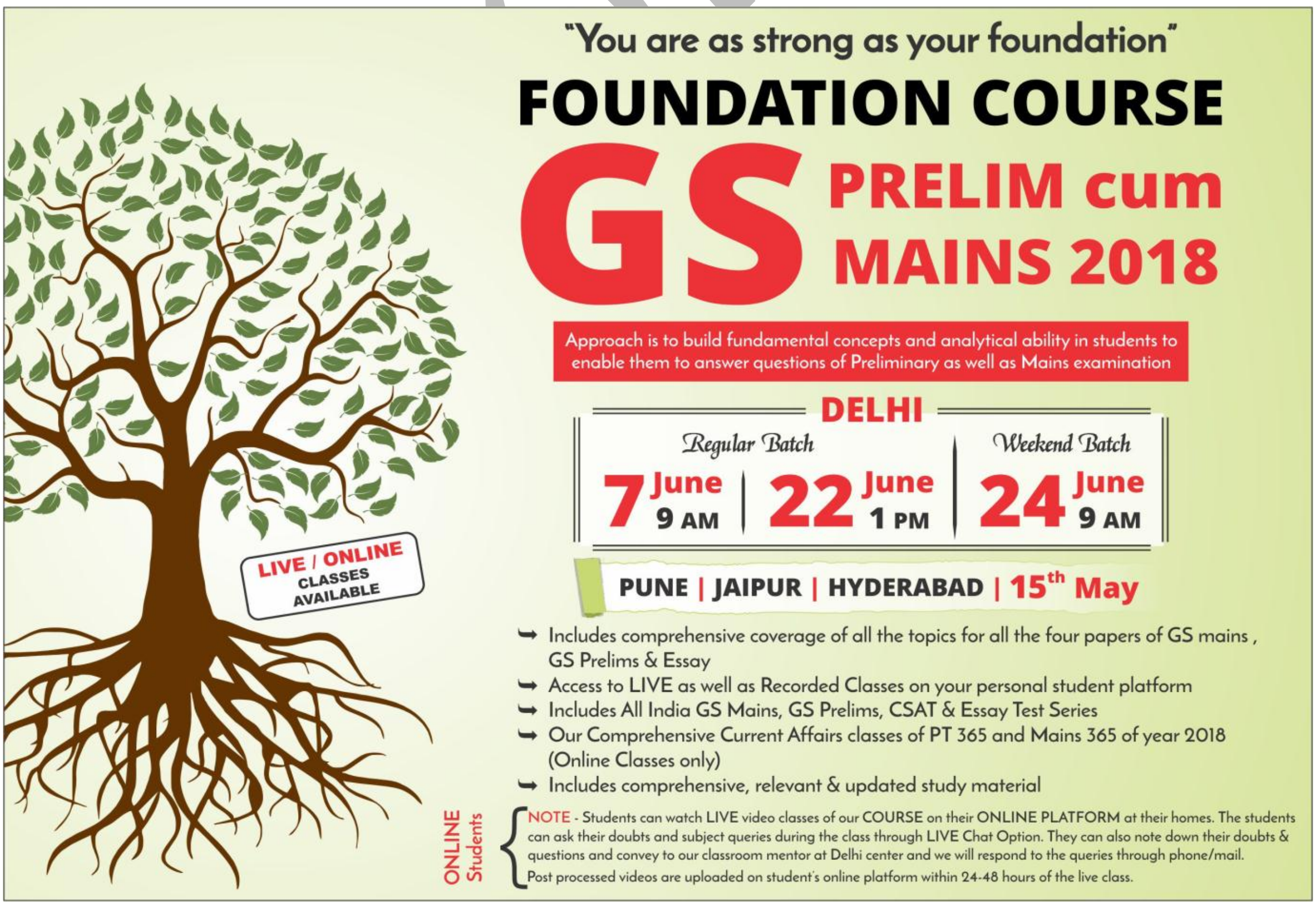

5. भारत में चुनाव

(ELECTIONS IN INDIA)

5.1. राजनीतिक दलों के वित्तपोषण में सुधार

(Reforms in Funding to Political Parties)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संघीय बजट 2017-18 में राजनीतिक दलों के वित्त पोषण में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ सुधारों की घोषणा की गई है।

सुधार

- राजनीतिक दल किसी एक व्यक्ति से अधिकतम 2000 रूपये की राशि प्राप्त कर सकते हैं।
- राजनीतिक दल अपने दाताओं से चेक या डिजिटल भुगतान के माध्यम से ही चंदा प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में एक संशोधन प्रस्तावित है जिससे इस संबंध में भारत सरकार द्वारा चुनावी बांड जारी करने की योजना लायी जा सके (ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश होगा)।
- प्रत्येक राजनीतिक दल को आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना कर जमा कराना होगा।
- राजनीतिक दलों को आयकर के भुगतान से मौजूदा छूट केवल उपरोक्त शर्तों को पूरा करने पर ही उपलब्ध होगी।

पृष्ठभूमि

- निर्वाचन आयोग ने सरकार से अज्ञात स्रोत से राजनीतिक दलों को मिलने वाली 2000 रूपये से अधिक की राशि को प्रतिबंधित करने वाला संशोधन क़ानून लाने के लिए कहा था ।
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी रिपोर्ट में विशिष्ट रूप से इंगित किया है कि राजनीतिक दलों को 2004-05 से 2014-15 के बीच 75 प्रतिशत राशि अज्ञात स्रोतों से मिली थी।

चुनावी बांड

- बांड केवल अधिसूचित बैंक द्वारा जारी किए जाएंगे।
- इसे केवल चेक या डिजिटल भुगतान के माध्यम से ही खरीदा जा सकता है।
- दाता द्वारा खरीदे गए बांड राजनीतिक दलों को एक निश्चित अवधि के लिए दिए जाएंगे।
- एक अधिसूचित बैंक खाते का उपयोग कर राजनीतिक दल इन बांडों को धन/पैसे में बदल सकते हैं।
- सभी राजनीतिक दलों को अपने बैंक खाते के बारे में निर्वाचन आयोग को सूचित करना आवश्यक है।
- यह बांड एक वाहक (बीयरर) चेक की तरह होगा जो दाता को गोपनीयता की सुविधा प्रदान करेगा।

5.2. राजनीतिक दलों के लिए कर छूट

(Tax Exemption for Political Parties)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक पार्टियों को प्रदान की गई 100% कर छूट समाप्त करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया।
- अधिवक्ता एम.एन. शर्मा द्वारा I-T अधिनियम, 1961 की धारा 13A एवं जनप्रितिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर की गई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया है कि राजनीतिक पार्टियों को कार्य करने हेतु निधियों की आवश्यकता होती है।

यह क्या है?

- **जनप्रितनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29** के अंतर्गत चुनाव आयोग में पंजीकृत राजनीतिक पार्टी जब तक प्रतिवर्ष अपना आयकर विवरण प्रस्तुत करती रहती है, तब तक उसे कराधान से छूट दी गई है।
- **I-T अधिनियम 1961 की धारा 13A** के अनुसार राजनीतिक पार्टी को इस छूट के लिए पात्रता हेतु स्वैच्छिक योगदान सहित अपने सभी प्रकार के अर्जनों का रिकार्ड संधारित करना चाहिए।
- याचिका ने इस संबंध में उत्तर की मांग की कि ऐसा क्यों है कि साधारण व्यक्तियों को कर का भुगतान करने की आवश्यकता है जबकि राजनीतिक पार्टियों को नहीं।

5.3. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3)

(Section 123 (3) of Represenation of People Act,1951)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय की एक सात सदस्यीय पीठ ने 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि "धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा को चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की भूमिका निभाने की अनुमति नहीं दी जाएगी"
- यह भी कहा गया कि यदि इन विचारों को वोट मांगने का आधार बनाया गया तो किसी उम्मीदवार का चुनाव रिक्त और शून्य घोषित किया जा सकता है।

निर्णय

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Represenation of People Act:RPA) की धारा 123(3) की एक व्याख्या के रूप यह निर्णय दिया गया था। धारा 123 (3) चुनाव प्रचार के लिए "भ्रष्ट आचरण" का पालन करने से संबंधित है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3) निम्नलिखित आधार पर भ्रष्ट आचरण की घोषणा करती है:

- "किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या उम्मीदवार की सहमति प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति या उनके चुनाव एजेंट द्वारा किसी भी व्यक्ति को **उसके** धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर मतदान करने अथवा मतदान से परहेज करने की अपील करना। "
- शब्द "**उसके**" (his) को 1961 में एक संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था।

5.4. राष्ट्रीय दल की स्थिति की समीक्षा

(Review of Status of National Party)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत के चुनाव आयोग (EC) ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया है। यह सातवाँ ऐसा दल बन गया है, जो पूरे देश में अपने चिन्ह पर लोक सभा और विधान सभा चुनाव लड़ सकता है।
- चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश में संशोधन किया गया।
- TMC ने चार राज्यों- **पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर** में तथाकथित राजकीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने की योग्यताओं को पूरा कर लिया है।

चुनाव आयोग (ECI) द्वारा हाल ही में किये गये परिवर्तन:

- चुनाव आयोग के संशोधित नियमों के अंतर्गत, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए किसी दल के एक चुनाव में प्रदर्शन के स्थान पर अब निरंतर दो लोकसभा या विधान सभाओं के प्रदर्शन पर ही विचार किया जायेगा।
- इन परिवर्तनों से 2014 के चुनावों में अत्यधिक खराब प्रदर्शन करने वाले अन्य दलों को भी राष्ट्रीय दल के रूप में अपनी मान्यता बनाये रखने में सहायता मिली है।
- चुनाव आयोग द्वारा संशोधित नियम के अनुसार, अब आयोग प्रत्येक 10 वर्ष में राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय और राज्य दल के दर्जे की समीक्षा करेगा। वर्तमान में आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में यह समीक्षा करता है।

✓ इस सम्बन्ध में चुनाव चिह्न (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 [Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968] में संशोधन किया गया है।

✓ राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य दल के रूप में मान्यता देने के मानदंड पूर्ववत हैं।

- अन्य छह राष्ट्रीय दल हैं– भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी।

राष्ट्रीय दल बनने के मानदंड:

एक राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएगी यदि:-

- उसे **चार** या अधिक राज्यों में लोक सभा या राज्य विधान सभाओं के आम चुनावों में डाले गये मतों का कम से कम **छह प्रतिशत** (6%) प्राप्त हुआ हो; और इसके साथ ही किसी एक राज्य या राज्यों से लोक सभा में कम से कम **चार** स्थान प्राप्त हुए हों।

  अथवा

©Vision IAS

- उसे लोक सभा में कम से कम **दो प्रतिशत** (2%) स्थान प्राप्त हुए हों (अर्थात 543 सदस्यों के वर्तमान सदन में 11 स्थान) और यह सदस्य कम से कम **तीन** विभिन्न राज्यों से चुन कर आये हों।

  अथवा
- दल को कम से कम चार राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई हो।

राष्ट्रीय दलों को प्राप्त सुविधाएँ:
- अपना विशिष्ट चिन्ह
- लोक सभा चुनावों में सार्वजनिक प्रसारकों – AIR, दूरदर्शन पर निशुल्क प्रसारण समय।
- मतदाता सूची की दो प्रतियां निशुल्क, यद्यपि उनके प्रत्याशियों को नामांकन भरने के लिए केवल एक ही प्रस्तावक की आवश्यकता होती है।
- 40 स्टार प्रचारकों की नियुक्ति, जिनका खर्च एक व्यक्तिगत प्रत्याशी के खर्च में नहीं जोड़ा जायेगा।

5.5. स्टार प्रचारक पर व्यय मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

(Supreme Court on Star Campaigner's Expenditure)

सुर्ख़ियों में क्यों ?
- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राजनीतिक दल के कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक द्वारा की गयी हवाई यात्रा के व्यय को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल नहीं किया जा सकता।

विवरण
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह छूट स्टार प्रचारक की चुनाव प्रचार यात्राओं तक ही सीमित थी।
- इस तरह स्टार प्रचारक की जनसभा के लिए पंडालों के निर्माण जैसी व्यवस्था के संबंध में किए गए व्यय दी गई व्यय छूट का हिस्सा नहीं हैं।
- न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि स्टार प्रचारक का यात्रा व्यय स्टार प्रचारक द्वारा स्वयं वहन किया जाना चाहिए।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77

धारा 77 प्रत्येक उम्मीदवार को चुनावी व्यय के लिए एक अलग चालू खाता रखने के लिए बाध्य करती है।

हालांकि, धारा 77 के खंड (क) की व्याख्या (1) यह स्पष्ट करती है कि किसी पार्टी के किसी नेता द्वारा उस पार्टी के कार्यक्रमों के लिए की गई यात्राओं या हवाई यात्राओं के व्यय उम्मीदवार के व्यय में शामिल नहीं होंगे।

5.6. निर्वाचन आयोग (ECI) ने अधिक अधिकारों की मांग की

(ECI Seeks More Powers)

सुर्खियों में क्यों?
- निर्वाचन आयोग (ECI) हाल ही में बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले समाचार पत्रों में राजनीतिक विज्ञापनों को प्रतिबंधित करने के लिए असाधारण शक्तियों का सहारा लेने के लिए विवश हो गया।
- ECI ने गत वर्ष संविधान के **अनुच्छेद 324 के** तहत बिहार चुनाव से एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों पर एक अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाया था।

ECI द्वारा निम्नलिखित चुनाव सुधारों की मांग
- जन प्रतिनिधि कानून की धारा 126 मतदान से 48 घंटे पूर्व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, रेडियो) में राजनीतिक दलों द्वारा विज्ञापन के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अंतर्गत हाल ही में सोशल मीडिया को भी शामिल किया गया है। ECI प्रिंट मीडिया को भी जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 में शामिल करना चाहता है।
- निर्वाचन आयोग वोटों की गिनती के लिए टोटलाइजर मशीनों का प्रयोग करना चाहता है।

VISION IAS

टोटलाइजर मशीन के बारे में

- टोटलाइजर मशीन के द्वारा गिनती के लिए विभिन्न बूथों में पड़े वोटों को मिश्रित किया जा सकता है।
- मौजूदा प्रणाली में प्रत्येक मतदान केंद्र में पड़े वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से अलग-अलग गिने जाते हैं और इससे प्रत्येक मतदान केंद्र में मतदान के रुझान का पता चलता है।
- इससे उस क्षेत्र में रहने वाले मतदाताओं को उत्पीड़न, धमकी और चुनाव के बाद अत्याचार सहना पड़ता है।

5.7. आदर्श आचार संहिता (MCC) : संसदीय समिति द्वारा समीक्षा

(Model Code of Conduct: Parliamentary Committee Review)

- चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता की संसदीय समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है।

MCC क्या है?

- यह चुनाव के समय राजनितिक दलों और प्रत्याशियों के चुनाव सम्बन्धी आचरण को संचालित करने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का एक सेट है।
- इसका उद्देश्य सभी राजनीति दलों के लिए चुनाव अभियान को निष्पक्ष और स्वस्थ रखने के लिए, टकराव और संघर्ष से बचने के लिए, शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक समान अवसर प्रदान करना है।
- इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी सत्तारूढ़ दल (चाहे वह केन्द्र में हो या राज्यों में) किसी भी चुनाव में अपनी शासकीय स्थिति से किसी भी प्रकार अनुचित लाभ न प्राप्त कर सके।
- जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, आदर्श आचार संहिता स्वतः प्रभावी हो जाती है और चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहती है।
- यह सभी राजनीतिक दलों, उनके प्रत्याशियों और चुनाव एजेंटों, सत्तारुढ़ सरकार और सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है।

5.8. राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण 2016 (NERP 2016)

(National Electoral Roll Purification 2016 (NERP 2016)

- भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा अन्य बातों के अलावा मतदाता सूची में सभी पात्र नागरिकों के नामांकन में त्रुटियों को सही करने के लिए देश भर में राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण (NERP) कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।
- यह प्रत्येक पात्र मतदाता की एक अद्वितीय निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) संख्या के साथ चुनावी रजिस्टर में प्रविष्टि सुनिश्चित करेगा। सभी अनुपस्थित या मृत, स्थानांतरित लोगों की प्रविष्टियों तथा दोहरी मतदाता प्रविष्टियों को हटाया जाएगा।
- विभिन्न अनुभागों, मतदान केंद्र सीमाओं और उनकी अवस्थितियों के मानकीकरण के लिए भौगोलिक सूचना तंत्र (ज्योग्राफिकल इनफार्मेशन सिस्टम-GIS) का इस्तेमाल किया जाएगा।
- आयोग ने NERP 2016 हेतु गहन क्षेत्र कार्यान्वयन चरण का शुभारंभ किया है। यह चरण अगले वार्षिक सारांश पुनरीक्षण हेतु मतदाता सूची के ड्राफ्ट के प्रकाशन (जिसकी नियत तिथि 1 जनवरी, 2017 है) के पहले ही समाप्त हो जाएगा।
- राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जानकारी प्रदान करने के लिए प्रावधान किया गया है।

NERP 2016 वस्तुतः प्रौद्योगिकी और SVEEP (Systematic Voters' Education and Electoral Participation) रणनीतियों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से मतदाता सूची की विश्वसनीयता में सुधार करने का एक प्रयास है।

- सूचना प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर सूचना संग्रह, प्रसंस्करण, सूचना साझा करने और कुशल निर्णय लेने में इस्तेमाल किया जा रहा है।
- NERP के लिए बूथ लेवल अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण दिया गया और बूथ जागरूकता समूह के सदस्यों को SVEEP अभियान के प्रभावी संचालन करने के लिए अनुकूलित किया जाएगा।

VISION IAS

5.9. एग्जिट पोल

(Exit Polls)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- उत्तर प्रदेश में एक एग्जिट पोल के नतीजों को ऑनलाइन प्रकाशित कर देने के बाद दैनिक जागरण के संपादक तथा एक सर्वे एजेंसी रिसोर्स डेवलपमेंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के मालिक के विरुद्ध FIRs दर्ज की गयी थी।

एग्जिट पोल

- एक्जिट पोल चुनाव के बाद लोगों द्वारा मतदान के तत्काल बाद का सर्वेक्षण है।
- चुनावों के आखिरी दौर के समाप्त होने तक एक्जिट पोल को प्रकाशित नहीं किया जा सकता है। एक से अधिक राज्यों में चुनाव हो रहें हों तो यह नियम अन्य राज्यों में भी लागू होगा।
- चुनाव आयोग ने मतदान प्रारंभ होने के समय से मतदान समाप्त होने के आधे घंटे तक इस पर प्रतिबन्ध लगा रखा है, अर्थात आखिरी दौर के मतदान के आधे घंटे पश्चात् ही एक्जिट पोल प्रकाशित किये जा सकते हैं।

ओपिनियन पोल

- ओपिनियन पोल चुनाव सम्बन्धी मुद्दों पर मतदाताओं का दृष्टिकोण जानने हेतु किया गया चुनाव पूर्व सर्वेक्षण होता है।
- ओपिनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वेक्षण के परिणाम का किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 48 घंटों के दौरान प्रकाशन प्रतिबंधित रहता है, जिनमें चुनावों से सम्बंधित प्रत्येक चरण में मतदान के लिए निर्धारित घंटे भी शामिल हैं।

5.10 कंट्रोल यूनिट्स, बैलेट यूनिट्स और VVPAT की खरीद

(Procurement of Control Units, Ballot Units and VVPAT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कैबिनेट द्वारा नए EVMs और VVPATs की खरीद के चुनाव आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है ताकि पुराने EVMs को हटाने की प्रक्रिया सुनिश्चित किया जा सके।

EVM के बारे में

- EVM 1989 में सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों - भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), बैंगलोर तथा इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL), हैदराबाद द्वारा विकसित की गई थी।
- यदि उम्मीदवारों की संख्या 16 या 16 कम है तो उसके लिए EVM में आम तौर पर एक बैलट यूनिट (BU) और एक कंट्रोल यूनिट (CU) होते हैं।
- यदि उम्मीदवारों की संख्या 16 से अधिक है तो ऐसी स्थिति में एक CU के साथ एक से अधिक BU (अधिकतम 4) संलग्न किये जा सकते हैं।

वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) के बारे में

- VVPAT मतदाताओं को यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि उसके द्वारा दिया गया मत उसके द्वारा नियत पार्टी के पक्ष में ही गया है। इससे प्राप्त पर्ची (पेपर) के माध्यम से मतदाता द्वारा स्वयं इसे जांचा जा सकता है।
- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भी चुनावी पारदर्शिता हेतु चुनाव आयोग को VVPAT लागू करने के लिए एक समयसीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया।

VISION IAS

5.11. जनमत

(Referendum)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में बने रहना चाहिए या नहीं, इस पर ब्रेक्ज़िट जनमत संग्रह, 52 प्रतिशत(72.2 प्रतिशत मतदाताओं ने प्रतिभाग किया) मतदान के साथ संपन्न हुआ जिसमे मतदाताओं के बहुमत ने "नहीं बने रहना चाहिए" के पक्ष में मतदान किया।
- हाल ही में कोलम्बिया के क्रांतिकारी सशस्त्र बलों (FARC) के साथ समझौते की पुष्टि करने के लिए **कोलंबिया सरकार** द्वारा घोषित **2 अक्टूबर के जनमत संग्रह** का परिणाम "नहीं" के पक्ष में प्राप्त हुआ। इस जनमत संग्रह में 38 प्रतिशत मतदाताओं ने भाग लिया, जिसमें से 50.3 प्रतिशत ने "नहीं" के पक्ष में वोट दिया।
- पिछले वर्ष **स्कॉटलैंड के ब्रिटेन में रहने के विषय पर एक जनमत संग्रह** में स्कॉटलैंड के नागरिकों ने ब्रिटेन के साथ रहने के लिए निर्णय किया।

जनमत संग्रह क्या है?

- जनमत संग्रह, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण हैं। अप्रत्यक्ष पद्धति में नागरिक प्रतिनिधियों का चयन करते हैं जो उनके स्थान पर विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण मुद्दों के मामलों में विकल्प का चयन करते हैं। जबकि जनमत संग्रह के तहत नागरिकों को विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे मतदान करने का अवसर मिलता है।
- इन्हें विशेष रूप से आधुनिक राज्यों में एक बेहतर लोकतांत्रिक साधन माना जाता है। जहां लोगों की निर्णय लेने में एक बेहतर भूमिका होती है।

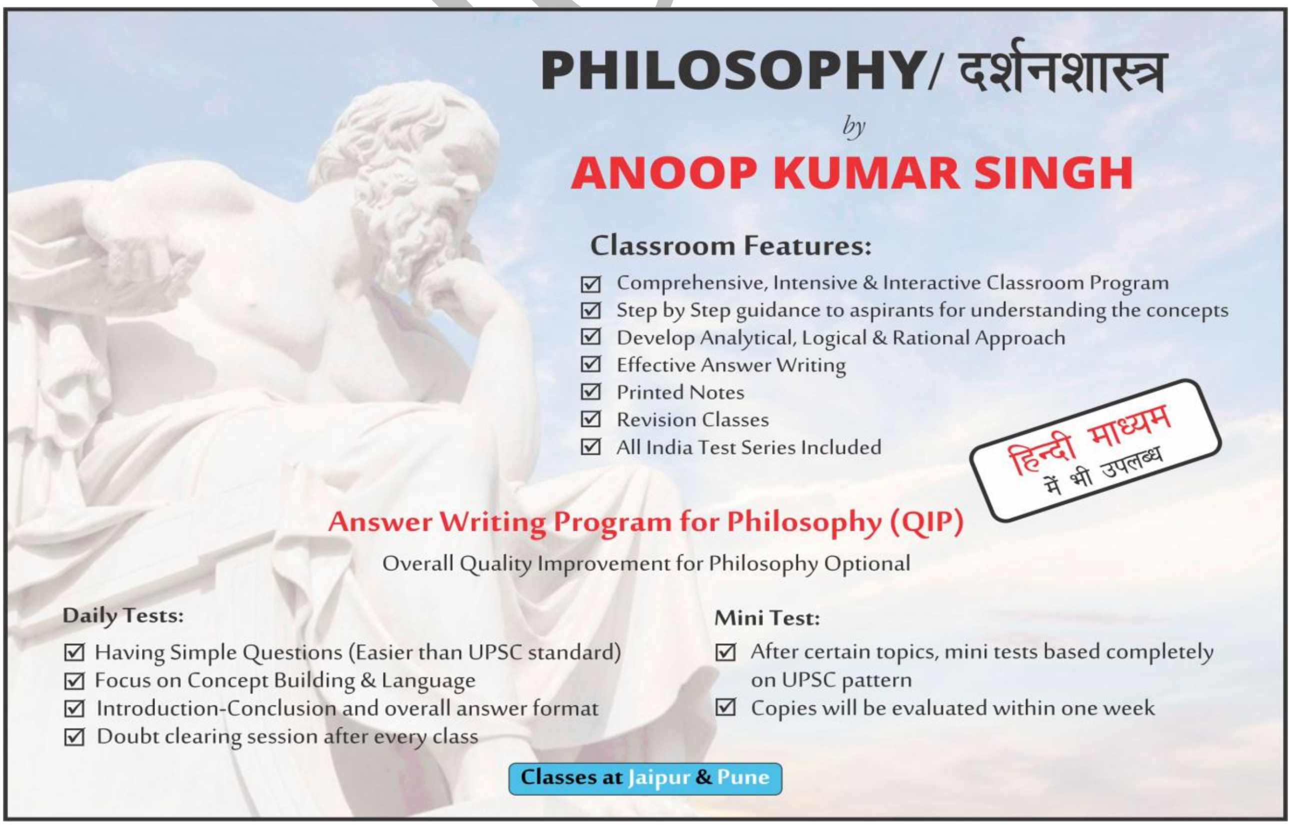

6. न्यायपालिका

(JUDICIARY)

6.1. सर्वोच्च न्यायालय में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति

(Supreme Court Gets Five Judges)

- सर्वोच्च न्यायालय में पांच और न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गयी। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल संख्या 28 हो गयी है।
- SC के न्यायाधीशों एवं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान की धारा 124 (2) के तहत् की जाती है।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या:

- वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 31 (एक मुख्य न्यायाधीश और तीस अन्य न्यायाधीश) हो सकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 2008 के अनुसार वर्ष 2009 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायधीशों की अधिकतम संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी गई।
- मूल रूप से **न्यायाधीशों** की संख्या 8 थी जिसे अभी तक पांच बार बढाया गया है ।

6.2. न्यायाधीश द्वारा अवमानना

(Contempt by Judge)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सी. एस. कर्णन के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही को प्रारंभ किया।
- न्यायमूर्ति कर्णन ने स्वत:संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय से कोलकाता उच्च न्यायालय में अपने स्थानांतरण की सिफारिश पर रोक लगा दी थी।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण

- संविधान के अनुच्छेद 222(1) के तहत "राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के पश्चात, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर सकता है।"

न्यायालय की अवमानना

- न्यायालय के अवमानना के अंतर्गत बोला या लिखा गया हर वह शब्द शामिल होता है जिसके द्वारा न्याय के प्रशासन (administration of Justice) की अवमानना की जाये, किसी दीवानी या आपराधिक कानूनी कार्यवाही से सम्बंधित अभियोग या मामले की निष्पक्ष सुनवाई को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया जाये या किसी भी अन्य प्रकार से न्याय के कार्य में बाधा डाली जाये।
- **संविधान के अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142(2)**, उच्चतम न्यायालय को नोटिस जारी करने और अपनी या किसी अधीनस्थ न्यायालय की अवमानना के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित किसी भी व्यक्ति को दंडित करने हेतु सक्षम बनाते हैं।
- **इस प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता:** अवमानना का प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि न्यायाधीश मीडिया आलोचनाओं या सामान्य जनता की राय से किसी भी तरह के दबाव में न आएँ। यह उन्हें किसी भी प्रकार के भय और पक्षपात या किसी भी बाहरी प्रभाव के बिना उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाता है।
- **न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971** 'अवमानना' को निम्न प्रकार से परिभाषित करता है:

✓ न्यायालय के आदेश की अवहेलना या निरादर करना,

✓ न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना,

✓ न्याय प्रशासन में व्यवधान उत्पन्न करना,

✓ न्यायालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना या उसके प्राधिकार को नीचा दिखाना।

VISION IAS

6.3. सार्वजनिक भूमि पर उपासना स्थल

(Places of Worship on Public Land)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न को हल करने का निर्णय किया है कि क्या धर्मनिरपेक्ष सरकार द्वारा सार्वजनिक भूमि को धार्मिक उपासना स्थलों का निर्माण करने हेतु अनुदान के रूप में प्रदान करना सही है।
- इस संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक उपासना स्थलों का निर्माण करने हेतु सार्वजनिक भूमि के अनुदान के लिए सभी लंबित मामलों की एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया है, भले ही यह मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या यहूदी उपासनागृह(synagogues) आदि में से किसी से भी सम्बंधित हो।

संवैधानिक प्रावधान एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

- संविधान की प्रस्तावना यह निर्धारित करती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
- अनुच्छेद 25-28 धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य का आधार निर्मित करते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2009 में सार्वजनिक स्थानों पर उपासना स्थलों के निर्माण पर उस समय तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया था जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय न प्रदान कर दिया जाए।
- एस. आर. बोम्मई वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता माना है।
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ये संवैधानिक प्रावधान निहित रूप से धार्मिक राष्ट्र की स्थापना का निषेध करते हैं तथा राज्य को इसके द्वारा स्वयं को किसी विशिष्ट धर्म से सम्बद्ध किये जाने या किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय या पंथ का पक्ष लिए जाने से वर्जित करते हैं।

6.4. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (ऑल इंडियन जुडिशियल सर्विसेज : AIJS)

(All India Judicial Services)

- प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से न्यायाधीशों की भर्ती की संभावना पर फिर से चर्चा की।
- 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद, न्यायिक सेवाओं को सम्मिलित करने के लिए अनुच्छेद 312 को संशोधित किया गया था।

अनुच्छेद 312

- इसके अनुसार एक अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित कर दे कि राष्ट्रहित में ऐसी एक या अधिक सेवाओं का गठन आवश्यक है।
- वर्तमान में, अखिल भारतीय सेवाओं (AIS) में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय वन सेवा (IFS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) सम्मिलित हैं।
- अखिल भारतीय सेवा की एक समान किन्तु अद्वितीय विशेषता यह है कि इन सेवाओं के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, किन्तु उनकी सेवाओं को विभिन्न राज्य कैडरों के अंतर्गत रखा जाता है। इन पर राज्य और केन्द्र दोनों के अधीन कार्य करने का उत्तरदायित्व होता है।

6.5. सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून पर उच्चतम न्यायालय का आदेश

(Supreme Court Ruling on AFSPA)

- उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि 'देश के संवेदनशील इलाकों में सशस्त्र बलों की वजह से हुई आम नागरिकों या उग्रवादियों की प्रत्येक हत्या की गहन जाँच की जाएगी। इस जाँच से यह सुनिश्चित किया जाएगा किसी की **न्यायेत्तर हत्या'** ना हो।
- उच्चतम न्यायालय के इस आदेश के पश्चात अब सुरक्षा बलों को संवदेनशील इलाकों में भी मनमानी करने की पूरी छूट नहीं होगी। इन इलाकों में भी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गैरकानूनी कार्यवाहियों की जाँच की जाएगी।

 ©Vision IAS

VISION IAS

- 'सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून' (Armed Forces (Special Powers) Act: AFSPA) के अंतर्गत की गई सैन्य कार्रवाइयों में अकेले मणिपुर में 1528 नागरिकों को जान गंवानी पड़ी है। इन्हीं पीड़ित परिवारों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है।

AFSPA क्या है?

- AFSPA को 1958 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य संवदेनशील तथा अशांत क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की बहाली के लिए सैन्य बलों को विशिष्ट शक्तियाँ देना व उन्हें कानूनी कार्रवाई से उन्मुक्तियां प्रदान करना था।
- कुछ विशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित हैं-

✓ अशांत क्षेत्र में कानून-व्यवस्था के विरुद्ध कार्य कर रहे किसी भी व्यक्ति पर एक बार उसे चेतावनी दिए जाने के पश्चात गोली चलाने की शक्ति।
✓ किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति।
✓ किसी भी वाहन को रोकने तथा उसकी तलाशी लेने की शक्ति।
✓ सुरक्षा बल के सैनिकों को उनके कृत्यों के लिए विधिक प्रतिरक्षा।

- वर्तमान में उत्तर-पूर्व के छह राज्यों तथा जम्मू व कश्मीर में AFSPA लागू है। त्रिपुरा में हाल ही में इसे हटाने का फैसला किया गया है।

"You are as strong as your foundation"

FOUNDATION COURSE PRELIMS 2017 GS PAPER - 1 | FOUNDATION COURSE GS MAINS 2017

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination

Duration: 90 classes (approximately)
- Includes comprehensive coverage of all the major topics for GS Prelims
- Includes All India Prelims (CSAT I and II Paper) Test Series of 2017
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 for 2017 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
- Includes comprehensive, relevant & updated study material for prelims examination
- **The uploaded Class videos can be viewed any number of times till Mains 2017 exam.**

Duration: 110 classes (approximately)
- Includes comprehensive coverage of all the four papers for GS MAINS
- Includes All India GS Mains and Essay Test Series of 2017
- Our Comprehensive Current Affairs classes of MAINS 365 for 2017 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
- Includes comprehensive, relevant & updated study material
- **The uploaded Class videos can be viewed any number of times till Prelims 2018 exam**

LIVE / ONLINE CLASSES AVAILABLE

NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts & subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions & convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail. Post processed videos are uploaded on student's online platform within 24-48 hours of the live class.

7. प्रशासन / पारदर्शिता / जबाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू

(IMPORTANT ASPECTS OF GOVERNANCE/ TRANSPARENCY/ ACCOUNTABILITY)

7.1. स्पॉइल्स सिस्टम

(Spoils System)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा तमिलनाडु लोक सेवा आयोग में की गईं 11 नियुक्तियों पर मद्रास उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।

पृष्ठभूमि

- मद्रास HC ने यह पाया कि नियुक्तियां जल्दबाजी में हुईं हैं तथा इन नियुक्तियों की प्रक्रिया संदिग्ध है।
- उदाहरण के लिए तमिलनाडु के बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के चयन ने एक कानूनी विवाद को जन्म दिया है क्योंकि पद पर चयनित होने हेतु आवश्यक योग्यताओं की पूर्ति नहीं की गईं, तथा इस प्रकार कानून का उल्लंघन किया गया।
- उपेंद्र नारायण सिंह मामले (2009) में, उच्चतम न्यायालय पाया कि लोक सेवा आयोग स्पॉइल्स सिस्टम से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं।
- राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन के साथ ही राज्यपालों की नियुक्ति और सेवानिवृत्ति भी संवैधानिक पदों के *स्पॉइल्स सिस्टम* की दिशा में विस्थापित होने का संकेत है।

स्पॉइल्स सिस्टम

- इसे पैट्रानेज सिस्टम (patronage system) भी कहा जाता है।
- इसके तहत, एक विजयी राजनीतिक पार्टी,उसके कार्यकर्ताओं और समर्थकों को सरकारी पदों पर नियुक्त करके या अन्य प्रकार से सहायता कर पारितोषिक प्रदान करती है।

- **अनुच्छेद 14:** राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
- **अनुच्छेद 16**: राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या इन में से किसी आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा।

7.2. न्यू CBI लॉं

(New CBI Law)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- CBI हेतु नए कानून के लिए कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति (PSC) की सिफारिश को भारत सरकार ने अस्वीकार कर दिया है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)

- प्रमुख आपराधिक जांचों तथा भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के लिए यह केंद्र की मुख्य जांच एजेंसी है।
- इसकी व्युत्पत्ति 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जांच के लिए स्थापित **विशेष पुलिस स्थापना (स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमन्ट)** से हुई है।
- **संथानम समिति** की अनुशंसाओं के पश्चात् 1963 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव द्वारा CBI का गठन किया गया।
- भ्रष्टाचार के मामलो में CBI, CVC के तहत तथा अन्य मामलों में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत आता है।

©Vision IAS

- वर्तमान में यह **DOPT के अंतर्गत एक संलग्न कार्यालय (attached office)** के रूप में कार्य करता है।
- यद्यपि DSPE अधिनियम CBI को विधिक शक्तियां प्रदान करता है, तथापि CBI एक सांविधिक निकाय नहीं है, क्योंकि:
- DSPE अधिनियम में CBI शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है।
- MHA के कार्यकारी आदेश में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि CBI को DSPE अधिनियम के अंतर्गत गठित किया जायेगा।
- **CBI के कार्य :**
- भ्रष्टाचार के मामले
- आर्थिक अपराध जैसे वित्तीय धोखाधड़ी, नारकोटिक्स आदि।

पृष्ठभूमि

- सर्वोच्च न्यायालय ने ***विनीत नारायण वाद*** में CBI को स्वतंत्र बनाने हेतु सुधारों की अनुशंसा की थी ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि **CBI** के निदेशक की नियुक्ति एक समिति की अनुशंसाओं के आधार पर होनी चाहिए जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय सतर्कता आयुक्त करेंगे तथा गृह सचिव एवं कार्मिक विभाग के सचिव सदस्य के रूप में होंगे।
- PSC की 85 वीं रिपोर्ट DSPE अधिनियम 1946 को नए CBI कानून द्वारा प्रतिस्थापित करना चाहती थी।

7.3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा -19

(Section-19 of Prevention of Corruption Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय द्वारा लोक सेवकों के विरुद्ध जांच शुरू करने हेतु सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता वाले अपने पूर्व के निर्णय को बरकरार रखा है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत पूर्व मंजूरी

- यदि किसी अधिकारी को हटाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है तो यह केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है।
- यदि किसी अधिकारी को हटाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है तो यह राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
- अन्य लोक सेवकों के मामले में, यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाती है।

पृष्ठभूमि

- अधिनियम की धारा 19 सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना लोक सेवक द्वारा किये गए किसी अपराध का संज्ञान लेने हेतु न्यायालय पर प्रतिबन्ध लगाती है।
- यह प्रतिबन्ध, मुकदमे (trial) के उद्देश्य से न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के विरुद्ध है।
- किन्तु धारा 19 के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू करने या CrPC की धारा 156 (3) के तहत न्यायालय द्वारा जांच प्रारंभ करने पर कोई निषेध नहीं है।

7.4. सूचना का अधिकार

(Right to Information: RTI)

7.4.1. अनुपालन दर

(Compliance Rate)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) रिपोर्ट, 2015-16** के अनुसार, 94% केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में विवरण प्रदान किए हैं।
- 2005-06 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद से सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा **पहली बार** इसकी अनुपालन दर 90% से अधिक रही है।

VISION IAS

* इस तरह का उच्च अनुपालन यह प्रदर्शित करता है कि सरकार पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की स्थापना की ओर अग्रसर है।

केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) के संबंध में

* यह RTI अधिनियम के तहत गठित एक स्वतंत्र निकाय है। यह एक सांविधिक निकाय है।
* आयोग का क्षेत्राधिकार सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों तक विस्तारित है।
* RTI अधिनियम, 2005 के अनुसार CIC अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है तथा इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी हैं।

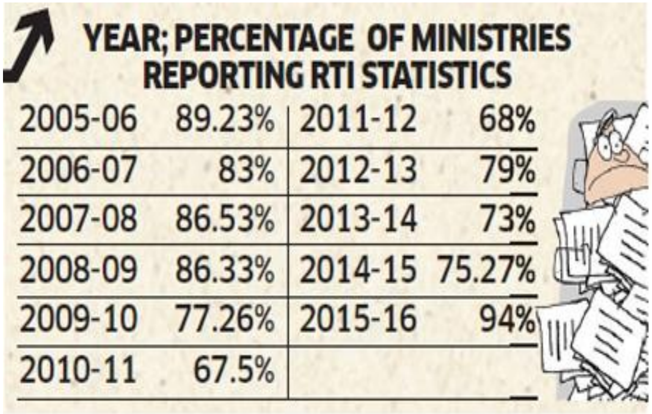

YEAR; PERCENTAGE OF MINISTRIES REPORTING RTI STATISTICS

2005-06	89.23%	2011-12	68%
2006-07	83%	2012-13	79%
2007-08	86.53%	2013-14	73%
2008-09	86.33%	2014-15	75.27%
2009-10	77.26%	2015-16	94%
2010-11	67.5%		

पृष्ठभूमि

* संसद द्वारा वर्ष 2005 में RTI अधिनियम अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के उद्देश्य नागरिकों को सशक्त करना, सरकार के कामकाज में जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देना तथा भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना हैं।
* RTI अधिनियम के अनुसार, सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को प्रत्येक वर्ष निम्निलखित के संबंध में सूचना प्रदान करनी होती है:
* RTI के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या; उन आवेदनों की संख्या जिनका समाधान कर दिया गया हो; तथा लंबित आवेदनों की संख्या।
* अस्वीकृत आवेदनों की संख्या एवं अस्वीकृति का आधार।
* दायर की गई प्राथमिक अपीलों की संख्या।
* परन्तु इन वर्षों में सार्वजनिक प्राधिकरण RTI संबंधी अपने आंकड़े प्रस्तुत करने के विषय में काफी हद तक अनिच्छुक रहे हैं तथा 2010-11 में इस नियम का अनुपालन करने वालों की संख्या 67.5% तक ही रही है।

7.4.2. RTI में सुधार

(Improvement in RTI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

* केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) अब एक ई-कोर्ट की भांति कार्य करेगा। सभी फाइल्स डिजिटल रूप से संचालित होंगी तथा सितम्बर 2016 से आवेदक को उसके प्रकरण की सुनवाई के सम्बन्ध में SMS एवं ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

RTI की नई विशेषताएं:

* सूचना के अधिकार (RTI) के अंतर्गत किसी शिकायत या अपील के दर्ज होने पर रियल टाइम अपडेट (real time update) उपलब्ध कराना।
* किसी RTI आवेदक द्वारा अपील या शिकायत दर्ज करते ही उसे एक पंजीकरण क्रमांक दिया जाएगा। आवेदक को प्रकरण एवं उससे संबधित अपडेट की सूचना उसके ई-मेल और मोबाइल फोन पर प्राप्त हो जाएगी।
* तत्पश्चात, उसका प्रकरण तुरंत ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्बद्ध सूचना आयुक्त के लेखागार में स्थानांतरित हो जायेगा।
* अब तक CIC की 1.5 लाख फाइल्स को स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स में परिवर्तित कर दिया गया है।
* आयोग, शिकायतों और अपीलों को एक दूसरे से पृथक करने में सक्षम हो जायेगा।

7.5. मध्य प्रदेश में 'हैप्पीनेस डिपार्टमेंट'

(Madhya Pradesh to have 'Happiness Department')

* मध्य प्रदेश ने हाल ही में हमारे पड़ोसी देश भूटान की तर्ज पर **'हैप्पीनेस डिपार्टमेंट'** का गठन किया है। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
* नव-गठित विभाग में विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया जाएगा जो लोगों के जीवन में प्रसन्नता सुनिश्चित करने हेतु सुझाव देगा ।

VISION IAS

भूटान का ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस (GNH)

- भूटान द्वारा 1971 में GNH सूचकांक प्रस्तावित किया गया था। इस सूचकांक के तहत अपने पर्यावरण तथा नागरिकों के आध्यात्मिक, शारीरिक, सामाजिक स्वास्थ्य को मापने हेतु एक अद्वितीय उपागम को अपनाया गया था।
- GNH के चार स्तंभ हैं :

✓ सतत और न्यायसंगत सामाजिक-आर्थिक विकास,
✓ पर्यावरण संरक्षण,
✓ संस्कृति का संरक्षण और उसे बढ़ावा देना एवं
✓ सुशासन।

7.6 लीगल इनफार्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम (LIMBS)

Legal Information Management & Briefing System (LIMBS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विधिक कार्य विभाग(**DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS**) द्वारा सभी मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों को LIMBS का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

LIMBS के बारे में

- यह भारत सरकार के विरुद्ध विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत लंबित अदालती मामलों के विवरणों को डिजिटल रूप से सुलभ करने का एक प्रयास है। इससे मामलों का आसान प्रबंधन एवं निगरानी संभव हो सकेगी।
- उपयोगकर्ताओं की सुग्राह्यता बढ़ाने हेतु इसमें ई-डॉक्यूमेंट वॉल्ट और ग्रुप SMS की अनूठी विशेषतायें निहित हैं।
- यह प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप है।

7.7 ई-कैबिनेट का कार्यान्वयन

(Implementation of E-Cabinet)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अरुणाचल प्रदेश, राज्य कैबिनेट के सदस्यों हेतु ई-कैबिनेट लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है।

ई-कैबिनेट के बारे में

- यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं सुचारु बनाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा एक सशक्त साधन है।
- यह कैबिनेट के सदस्यों को, विश्लेषण और फ़ीडबैक हेतु कैबिनेट नोट्स की अग्रिम पहुंच प्रदान करता है। इससे उन्हें कैबिनेट बैठक के विवरण (minutes of cabinet meeting) तैयार करने, संचालित करने और उनकी समीक्षा करने में मदद मिलती है।

लाभ

- यह बैठकों की औसत अवधि 4-5 घंटे से कम कर केवल 30-90 मिनट तक कर देता है।
- यह बैठकों में कागज के उपयोग को समाप्त करता है।

8. शहरी शासन

(LOCAL GOVERNANCE)

8.1. शहरी विकास मन्त्रालय : नए सुधार

(Ministry of Urban Development: New Reform Matrix)

सुर्ख़ियों में क्यों?

शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य एवं शहरी सरकारों को सुधारों के क्रियान्वयन के लिए सक्षम बनाने हेतु सुधारों के एक नए सेट को विकसित किया है। जिसका लक्ष्य अगले तीन वर्षों में शहरी शासन, नियोजन तथा वित्त में सुधार करना है।

सुधारों को प्रोत्साहित करने हेतु उठाए गए कदम :

- **सुधार प्रोत्साहन निधि** (Reform Incentive Fund) को 2017-18 के 500 करोड़ से क्रियान्वयन काल के अगले तीन वर्षों तक प्रतिवर्ष 3000 करोड़ तक बढ़ाना।
- AMRUT दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सुधार प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सुधार की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत प्रदर्शन के आधार पर शहरों को रैंकिंग प्रदान करना।
- नयी पहलों का आरम्भ जैसे, *ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी* (Transit Oriented Development Policy), मेट्रो नीति, *ग्रीन अर्बन मोबिलिटी स्कीम* (Green Urban Mobility Scheme), *लिवेबिलिटी इंडेक्स फॉर सिटीज* (Livability Index for Cities), *वैल्यू कैप्चर पॉलिसी* और मल-कीचड़ एवं अन्य कचरा प्रबंधन नीति।

सुधारों में सुझाए गए प्रमुख प्रावधान

विश्वास एवं प्रमाणन की ओर बढ़ना

- वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत पहले प्रमाणन की आवश्यकता होती है और तत्पश्चात अनुमति दी जाती है। आवश्यक यह है कि नागरिकों में विश्वास स्थापित किया जाए तथा अनुमति पहले दे दी जाए और प्रमाणन बाद में भी दिया जा सकता है।
- भवन निर्माण के लिए अनुमति देने, नगरपालिका के अभिलेखों में टाइटल के बदलाव, तथा जीवन -मृत्यु पंजीकरण, शहरी सरकार तथा नागरिकों के मध्य वृहद् स्तर पर भौतिक संपर्क को शामिल करने के सन्दर्भ में इस दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है।

भूमि स्वत्वाधिकार (लैंड टाइटलिंग) कानूनों का निर्माण

- **मैकेंजी** के अनुसार देश में लगभग 90 प्रतिशत भूमि रिकॉर्ड अस्पष्ट हैं। भू- बाजार विकृतियों और अस्पष्ट भू-स्वत्वाधिकार प्रतिवर्ष देश की GDP को 1.30 प्रतिशत तक नुकसान पहुँचाते हैं।
- इस कारण आवश्यकता यह है कि एक निश्चित समय सीमा में भू-स्वत्वाधिकार कानून बनाकर उन्हें क्रियान्वित किया जाए।

स्थानीय शहरी निकायों की क्रेडिट रेटिंग और वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग

- नगरपालिका क्षेत्र का कुल राजस्व समग्र सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.75% है जबकि दक्षिण अफ्रीका में 6 प्रतिशत, ब्राज़ील में 5 प्रतिशत तथा पोलैंड में 4.5 प्रतिशत है।
- इसलिए, नगर पालिकाओं को निजी व्यक्तियों के लिए सृजित निधि से कुछ मूल्य पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता है। शहरों की पूंजीगत आवश्यकताओं के खर्चों की पूर्ति हेतु म्युनिसिपल बांड्स जारी किए जा सकते हैं।

ULBs के पेशेवर रवैये में सुधार होना चाहिए

- **गोल्डमैन सैच (Goldman Sach)** के अनुसार ,वरिष्ठता की अपेक्षा मेधा (merit rather than seniority) आधारित नौकरशाही देश की GDP वृद्धि में प्रतिवर्ष लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है।
- साथ ही योग्य तकनीकी स्टाफ एवं प्रबंधकीय सुपरवाइजर की कमी के कारण ULBs में नवाचार रुक जाता है।
- शहरी प्रशासन में पेशेवरों को पार्श्विक (लेटरल) भर्तियों द्वारा शामिल किए जाने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा शहरों में शीर्ष पदों को खुली प्रतियोगिता द्वारा भरा जाना चाहिए।

VISION IAS

8.2. नागालैंड की महिलाओं द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण की मांग

(Nagaland Women Demand ULB Reservation)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- नागालैंड की महिलाओं द्वारा शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में संवैधानिक रूप से 33 % आरक्षण की माँग की जा रही है।

74वें संविधान संशोधन में महिला आरक्षण से सम्बंधित प्रावधान

- **अनुच्छेद 243T (3)** प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आवंटित किए जा सकेंगे।
- **अनुच्छेद 243T (4)-** नगर पालिका अध्यक्ष के पद ऐसी रीति से महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे।

अनुच्छेद 371A(1) क्या है?

निम्नलिखित के संबंध में संसद का कोई अधिनियम नागालैंड राज्य को तब तक लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है, अर्थात् -

- नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं;
- नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया;
- सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन जहां विनिश्चय नागा रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होने हैं;
- भूमि और उसके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व और अंतरण;

शामिल मुद्दे

- यहाँ संविधान के अनुच्छेद 243T (महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण) तथा अनुच्छेद 371A के मध्य विरोधाभास है।
- नागालैंड के प्रथागत कानूनों के अनुसार प्रशासन के संस्थानों के संचालन का अधिकार सिर्फ पुरुषों का है। ऐसे में महिलाओं द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग वहां संघर्ष को जन्म दे रही है।

पृष्ठभूमि

- ULBs में महिलाओं को आरक्षण देने हेतु संसद ने 1993 में 74वाँ संविधान संशोधन पारित किया।
- नागालैंड ने इस प्रावधान हेतु 2006 में नागालैंड म्यूनिसिपल (प्रथम संशोधन) अधिनियम पारित किया।
- 74 वें संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 371A के सिद्धांतों के मध्य विवाद के चलते नागालैंड में 2011 से ULB के कोई चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं।
- अप्रैल 2016 में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने का आदेश दिया।

8.3. शहरीकरण और अवैध कालोनियां

(Urbanization and Illegal Colonies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की याचिका अस्वीकार कर दी।
- न्यायालय ने उद्धृत किया कि अतीत में अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने से अतिक्रमण करने वालों को प्रोत्साहन मिला है।
- इन अवैध कॉलोनियों के निर्माण के पीछे एक मुख्य कारण शहर आने वाले नए प्रवासियों के लिए उचित बंदोबस्त का अभाव है।

अवैध कॉलोनियों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां

- इससे शहरी नियोजन प्रभावित होता है और उचित जल निकासी, सीवेज प्रणाली और जलापूर्ति उपलब्ध कराना कठिन हो जाता है।
- चूंकि मकानों का निर्माण निर्धारित पैटर्न के अंतर्गत नहीं किया गया है (जैसे कि ग्रिड प्रणाली), इसलिए उचित सड़कों का निर्माण अत्यंत दुष्कर हो जाता है।
- उचित नागरिक सुविधाओं के अभाव के परिणामस्वरूप मलेरिया, तपेदिक और डायरिया जैसे रोगों का प्रसार होता है।
- अवैध कॉलोनियां, शहर का मास्टर प्लान रेगुलेशन ख़राब कर देती हैं।

VISION IAS

9. महत्वपूर्ण विधान/ बिल

(IMPORTANT LEGISLATIONS/ BILLS)

9.1. महत्वपूर्ण अधिनियम

(Important Acts)

9.1.1. आधार अधिनियम, 2016

(Aadhaar act, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आधार (वित्तीय एवं अन्य राजसहायता, लाभ एवं सेवा के लक्षित अंतरण) विधेयक , 2016 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया और इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई। इसके बाद, केंद्र ने नए आधार अधिनियम को अधिसूचित कर दिया।
- विधेयक में भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए सब्सिडी और सेवाओं के लक्षित अंतरण के लिए आधार कार्ड को वैधानिक आधार प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

विधेयक की विशेषताएं:

- प्रत्येक निवासी (resident) एक आधार संख्या प्राप्त करने का हकदार होगा। एक निवासी वह व्यक्ति है जो किसी एक वर्ष में 182 दिनों तक भारत में रहा हो।
- आधार कार्ड से संबंधित कार्यकलापों को संपादित करने के लिए विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ('यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी'–UID) का गठन किया जाएगा।
- **UID की संरचना**: एक अध्यक्ष, दो अंशकालिक सदस्य और एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अध्यक्ष और सदस्यों को प्रौद्योगिकी, प्रशासन आदि जैसे विषयों में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।
- **UID प्राधिकरण के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं:**

✓ नामांकन के दौरान विशिष्ट जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफिक) और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित करना।
✓ प्रत्येक व्यक्ति को आधार संख्या आवंटित करना।
✓ आधार संख्या को प्रमाणित करना।
✓ सब्सिडी और सेवाओं के वितरण के लिए आधार संख्या के उपयोग को विनिर्दिष्ट करना।

- बॉयोमेट्रिक जानकारी (फिंगर प्रिंट, आइरिस स्कैन और अन्य जैविक विशेषताएँ) केवल आधार नामांकन (एनरोलमेंट) और प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाएंगी तथा किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा।
- इन्हें केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में और न्यायालय के आदेश के उपरांत ही प्रकट किया जाएगा।
- केंद्रीकृत डेटाबेस तक अनधिकृत पँहुच (जिसमे अन्य किसी भी संग्रहित जानकारी का प्रकटीकरण भी शामिल है) के लिए किसी व्यक्ति को 3 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 10 लाख रुपए के जुर्माने का दंड दिया जा सकता है।

आधार संख्या प्राप्त करने के लिए, एक व्यक्ति को अपने निम्नलिखित विवरण जमा करने होते हैं:

✓ बॉयोमेट्रिक (फोटो, फिंगर प्रिंट, आईरिस (iris) स्कैन)
✓ डेमोग्राफिक (नाम, जन्म तिथि, पता) जानकारी

विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) अन्य बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक जानकारी एकत्र किए जाने हेतु नियम निर्दिष्ट कर सकता है।

आधार से सम्बंधित विवरणों को साझा करने पर रोक

- केंद्र सरकार ने, जिन एजेंसियों के पास लोगों का आधार नंबर है, उन एजेंसियों के द्वारा उस आधार नंबर को या उससे सम्बंधित जानकारी के सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने पर रोक लगा दी है, जिससे उन विवरणों का गलत प्रयोग न हो सके।

VISION IAS

- UIDAI ने इसके सम्बन्ध में आधार (वित्तीय एवं अन्य राजसहायता , लाभ तथा सेवाओं के लक्षित अंतरण) अधिनियम, 2016 के तहत अधिसूचना जारी की है।
- जिन एजेंसियों के पास आधार सम्बन्धी विवरण हैं, उन एजेंसियों को 12-अंकों वाले इस पहचान नंबर की **सुरक्षा और गोपनीयता को सुनिश्चित करना** होगा।
- UIDAI द्वारा एकत्रित किसी भी बायोमेट्रिक जानकारी को किसी भी कारण से **किसी के भी साथ साझा नहीं किया जा सकता** है।
- एजेंसियों को आधार धारकों को उन उद्देश्यों के बारे में भी बताना होगा जिस उद्देश्य से उनके विवरणों का इस्तेमाल किया जाएगा।
- आधार अधिनियम के तहत नामांकन के समय किसी आधार धारक की छद्म पहचान धारण करने, डेटा के साथ छेड़छाड़ करने और पहचान सम्बन्धी जानकारी का खुलासा करने जैसे अपराधों के लिए दंड निर्धारित किया गया है।

9.1.2. मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक, 2015 संसद द्वारा पारित

(Arbitration and Conciliation Act (Amendment) ACT, 2015)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015 को दिसंबर 2015 में पारित किया गया था। यह विधेयक मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन करता है।

- भारत में मध्यस्थता संबंधी नियमों की अक्सर लचर, महंगा और अप्रभावी होने के कारण आलोचना की जाती है। यही कारण है कि अनेक विदेशी कम्पनियां लम्बी चलने वाली मुकदमेबाजियों के कारण भारत में व्यापार करने में संकोच करती हैं।
- विश्व बैंक की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2016 के अंतर्गत अनुबंध को लागू करने की दृष्टि से भारत को 189 देशों में 178वां स्थान प्रदान किया गया था।
- इससे पहले घरेलू मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और विदेशी मध्यस्थता संबंधी निर्णयों को लागू करने तथा सुलह या उससे संबंधित या आकस्मिक मामलों संबंधी कानून को परिभाषित करने के लिए **सुलह संशोधन विधेयक, 1996** को अधिनियमित किया गया था।
- **भारत के विधि आयोग ने अपनी 246वीं रिपोर्ट में** मध्यस्थता की प्रक्रिया को अधिक तीव्र, मूल्य प्रभावी, न्यायालयों के हस्तक्षेपों को कम करने वाला बनाने के साथ ही मध्यस्थता संबंधी निर्णयों के प्रवर्तन को सरल बनाने हेतु अनुशंसाएं की थीं।

इस संशोधन की महत्वपूर्ण विशेषताएँ:

- यह पक्षों को भारत से बाहर स्थित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता प्राप्त करने में सक्षम करता है और यदि विभिन्न पक्ष असहमत न हों तो वे भारतीय अदालतों में भी अंतरिम राहत प्राप्त करने के लिए पहुँच सकते हैं।
- मध्यस्थ न्यायाधिकरण को 12 महीने में अपना निर्णय दे देना होगा। विभिन्न पक्ष इस अवधि को छः महीने तक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद, इसकी अवधि को पर्याप्त कारण प्रस्तुत किए जाने पर केवल न्यायालय द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है।
- अवधि को बढ़ाने के दौरान न्यायालय मध्यस्थों के शुल्क में कमी करने का आदेश भी दे सकता है, यह कमी विलम्ब के प्रत्येक महीने के लिए पांच प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती और यदि मध्यस्थता की प्रक्रिया छः महीने के अंदर पूरी हो जाती है तो दोनों पक्षों की सहमति से अतिरिक्त शुल्क प्रदान करने का प्रावधान भी किया गया है।
- मध्यस्थता के संचालन के लिए एक फास्ट ट्रैक कार्यप्रणाली का भी प्रावधान किया गया है। इस प्रकार के प्रकरण में छः महीने की अवधि में निर्णय देने होंगे।
- मध्यस्थ न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अर्जी (आवेदन) दायर करने मात्र से ही ऐसे निर्णयों के कार्यान्वयन पर स्वतः रोक नहीं लग पाएगी, अपितु इसके लिए सक्षम प्राधिकरण से आदेश प्राप्त करना होगा।
- मध्यस्थता-निर्णय को कुछ निश्चित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। संशोधन ने इस सबंध में 'भारत की सार्वजनिक नीति' पद के प्रभाव क्षेत्र को– धोखाधड़ी द्वारा प्रेरित या प्रभावित; भारत की मूलभूत नीति के उल्लंघन में; नैतिकता या न्याय की सर्वाधिक आधारभूत धारणाओं के विरोध में, इत्यादि तक सीमित कर दिया है।
- निर्णय को चुनौती देने वाले अर्जी का न्यायालय द्वारा एक वर्ष के भीतर निपटारा किए जाने के संबंध में एक नया प्रावधान शामिल किया गया है।

- मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन का निपटारा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शीघ्रातिशीघ्र किया जाएगा और 60 दिनों के अन्दर उक्त मामले का निपटारा करने का प्रयास किए जाने संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं।
- यह संशोधन मध्यस्थ के शुल्क पर एक उच्चतम सीमा निर्धारित करता है।
- यह लागतों को अधिरोपित करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण को व्यापक अधिकार देता है, पुनः इसके माध्यम से असफल पक्ष द्वारा सफल पक्ष को लागतों का भुगतान करने के सामान्य नियम को प्रस्तावित किया गया है।
- मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को ऐसे किसी भी संबंध या किसी भी प्रकार के लाभ का खुलासा करना होगा, जिसके कारण उस पर संदेह उत्पन्न होने की संभावना हो।

ADR तंत्र

- **आर्बिट्रेशन (Arbitration):** यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान किया जाता है। इसमें एक या एक से अधिक मध्यस्थ सम्मिलित होते हैं जिनका निर्णय बाध्यकारी होता है। विभिन्न पक्ष मध्यस्थता का चयन कर न्यायालय में अपील करने के स्थान पर निजी विवाद समाधान प्रक्रिया का विकल्प चुनते हैं।
- **कन्सिलिएशन (Conciliation):** यह मध्यस्थता का अपेक्षाकृत कम औपचारिक रूप है। इस प्रक्रिया में किसी भी पूर्व समझौते की आवश्यकता नहीं रहती है। कोई पक्ष दूसरे पक्ष को एक मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध कर सकता है। सामान्यतः एक मध्यस्थ को प्राथमिकता दी जाती है लेकिन दो या तीन मध्यस्थों को भी नियुक्त करने की अनुमति है। एक से अधिक मध्यस्थों के मामले में सभी को संयुक्त रूप से कार्य करना आवश्यक है। यदि कोई पक्ष सुलह के प्रस्ताव को अस्वीकार करता है तो सुलह नहीं हो सकती है।
- **मीडीएशन (Mediation)**: यह :"वैकल्पिक विवाद समाधान" या "उचित विवाद समाधान " का एक रूप है जिसका लक्ष्य विवाद में सम्मिलित दो या दो से अधिक पक्षों के मध्य समझौता कराने में मदद करना है। विभिन्न पक्ष किसी तीसरे पक्ष द्वारा अधिरोपण को स्वीकार करने के बजाय समझौते की शर्तों का निर्धारण स्वयं करते हैं। विवादों में पक्ष के रूप में राज्य, संगठन, समुदाय, व्यक्ति या अन्य प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं, जिनका प्राप्त होने वाले परिणाम में लाभ निहित है।
- **निगोशीएशन (Negotiation):** निगोशीएशन संवाद अभिप्रेरित होता है जिसका उद्देश्य विवादों का समाधान करना; कार्यवाही हेतु समझौता करना; व्यक्तिगत या सामूहिक लाभ के लिए समझौता करना; या विभिन्न हितधारकों को संतुष्ट करने वाले परिणाम प्रदान करना है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान का प्राथमिक तरीका है।

लोक अदालत

- लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों में से एक है। यह एक ऐसा मंच है जहां विधि न्यायालय में लंबित या मुकदमे से पूर्व के चरण पर विवादों/मुकदमों का परस्पर सहमति से समाधान/ निपटान किया जाता है।
- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
- इस अधिनियम के तहत, लोक अदालतों द्वारा किए गए अवार्ड (निर्णय) को एक दीवानी अदालत की डिक्री माना जाता है। यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है। इस तरह के निर्णय के विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
- यदि कोई पक्ष लोक अदालत के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- लोक अदालत में कोई मामला दायर करने हेतु किसी भी प्रकार के न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।
- लोक अदालतों में मामलों पर निर्णय देने वाले व्यक्ति, लोक अदालतों के सदस्य (*मेम्बर्स ऑफ़ लोक अदालत*) कहलाते हैं। इनकी कोई न्यायिक भूमिका नहीं होकर केवल सांविधिक मध्यस्थ की भूमिका होती है।

9.1.3. पुराने कानूनों का निरसन

(Repeal of Old Statute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संसद ने हाल ही में ऐसे 1053 कानूनों को निरसित करने के लिए दो विधेयक पारित किए जो अब निरर्थक विधान बन गए थे।
- विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2015 का प्रायोजन ऐसे 758 पुराने विनियोग अधिनियमों को निरसित करना है, जो अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। निरसन और संसोधन (तीसरा) विधेयक, 2015 का उद्देश्य 295 अधिनियमनों को निरसित करना है एवं कुछ अन्य अधिनियमनों को संशोधित करना है।

पुराने कानूनों की पहचान

- संघीय सरकार के स्तर पर, भारतीय विधि आयोग ने 2014 में चार रिपोर्ट (248वीं, 249वीं, 250वीं, 251वीं) तैयार कीं। इन रिपोर्टों में ऐसे पुराने कानूनों की पहचान की गई जिन्हें निरसित किया जा सकता था।
- बाद में, वर्तमान सरकार द्वारा अप्रासंगिक या अनावश्यक हो चुके या निरसन/पुनः अधिनियमन की मांग करने वाले अधिनियमों की पहचान करने के लिए आर. रामानुजम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।
- रामानुजम समिति के अनुसार 15 अक्टूबर 2014 को 2781 केंद्रीय अधिनियम अस्तित्व में थे। इन्होंने इनमें से 1741 केंद्रीय अधिनियमों को निरसित करने की अनुशंसा की। इन 1741 अधिनियमों में से 340 अधिनियम राज्य सूची के विषयों पर केंद्रीय अधिनियम थे, जिन्हें संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा निरसित किया जाना था।

9.1.4. लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016

(The Lokpal and Lokayuktas (Amendment) Bill, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- जुलाई 2016 में संसद (दोनों सदनों) द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016 पारित किया गया।

विधेयक की विशेषताएं

- विधेयक, लोकसेवकों द्वारा परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा के सम्बन्ध में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में संशोधन प्रस्तावित करता है।
- यह लोकसेवकों की देनदारियों और परिसंपत्तियों की घोषणा करने वाली धारा 44 में संशोधन प्रस्तावित करता है।
- यह लोक सेवकों को परिभाषित करता है जिनमें विभिन्न व्यक्ति शामिल हैं जैसे- प्रधानमंत्री, मंत्रियों, सांसदों सहित ऐसे सभी व्यक्ति जो सरकार या किसी भी संगठन, ट्रस्ट या गैर-सरकारी संगठन जिन्हें 10 लाख रुपये तक की विदेशी सहायता या 1 करोड़ रुपये तक की सरकारी सहायता प्राप्त होती है, के अंतर्गत अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं।
- लोकपाल अधिनियम किसी लोक सेवक के लिए स्वयं के साथ ही उसके जीवनसाथी और आश्रित बच्चों की संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करने को अनिवार्य करता है। इस तरह की घोषणाएं कार्यालय में प्रवेश करने के तीस दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष की जानी चाहिए।
- लोक सेवकों को प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक इस तरह की परिसम्पत्तियों और देनदारियों का वार्षिक रिटर्न फाइल करना होगा।
- लोकपाल अधिनियम यह भी उद्घोषित करता है कि ऐसी घोषणा को उस वर्ष के 31 अगस्त तक प्रासंगिक मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।
- संशोधन अनिश्चित काल के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा के लिए समय सीमा का विस्तार करता है।

अधिनियम की धारा 44 के अनुसार प्रत्येक लोक सेवक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करेगा:

- वे संपत्तियां जिनके मालिक या लाभार्थी व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से लोक सेवक स्वयं, उसका जीवनसाथी एवं उस पर आश्रित बच्चे हों।
- लोक सेवक, उसके जीवनसाथी तथा उस पर आश्रित बच्चे की देनदारियां।

9.2. लंबित विधेयक

(Pending Bills)

9.2.1. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA), 1988 में संशोधन

(Amendment to Prevention of Corruption Act [PCA], 1988)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यसभा में लंबित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2013 से संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। इसी क्रम में सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

प्रस्तावित संशोधन

प्रस्तावित संशोधन घरेलू **भ्रष्टाचार निवारण कानून में कथित विसंगतियों को दूर करेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCAC) के अनुरूप देश के दायित्वों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में भी मदद करेगा।**

- रिश्वत देने और लेने वालों को अधिक सख्त सजा दी जाएगी।
- सजा का प्रावधान न्यूनतम **6 महीने से बढ़ाकर 3 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष** (रिश्वत के मामले में 7 वर्ष की सजा घोर अपराध की श्रेणी में आता है) किया गया।
- भ्रष्टाचार से मिलने वाले लाभ पर रोक के लिए कुर्कियों का अधिकार **जिला न्यायालय के बजाय निचली अदालत (विशेष न्यायाधीश) को दिए जाने का प्रस्ताव।**
- सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए **व्यक्तियों से लेकर वाणिज्यिक संस्थाओं तक को** इस प्रावधान के दायरे में लाया जा रहा है।
- वाणिज्यिक संगठनों से जुड़े व्यक्तियों द्वारा लोक सेवकों को घूस देने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करने के प्रावधान।
- पिछले 4 वर्ष में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई की औसत अवधि 8 वर्ष से अधिक है।
- **2 वर्ष के भीतर त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने** का प्रस्ताव किया गया है।
- **लोक सेवकों द्वारा धन संवर्धन आपराधिक दुराचार** और आय से अधिक संपत्ति को प्रमाण के रूप में लिया जाएगा।
- **गैर-मौद्रिक लाभ** पहुंचाने (Non-monetary gratification) शब्द को भी **लाभ पहुंचाने (gratification) की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया** है।
- धारा 7(2) में सरकारी कर्मचारी के दायित्व को इस तरह से वर्णित किया गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी अपने संवैधानिक कर्तव्य या नियमों, सरकारी नीतियों, कार्यकारी निर्देशों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता।

9.2.2. शत्रु संपत्ति (ENEMY PROPERTY) अध्यादेश, 2016

(Enemy Property Amendment Bill, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, राष्ट्रपति के द्वारा शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 में संशोधन करने के लिए **शत्रु सम्पत्ति (संशोधन एवं मान्यता) अध्यादेश 2016** जारी किया गया।
- हालांकि, यह संसदीय गतिरोध के कारण पारित नहीं किया जा सका है। इस प्रकार, सरकार ने उसी उद्देश्य के लिए अध्यादेश पुनः प्रख्यापित किया है।

शत्रु सम्पत्ति क्या है?

- भारत रक्षा अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान की नागरिकता ग्रहण कर चुके लोगों की सम्पति को अधिगृहीत कर लिया था। शत्रु सम्पत्ति के कस्टोडियन (अभिरक्षण) के रूप में शत्रु सम्पतियों को केंद्र सरकार से संबद्ध कर दिया गया।
- शत्रु संपत्ति के कस्टोडियन (अभिरक्षण) के रूप में शत्रु संपत्तियों को केंद्र सरकार से सम्बद्ध कर दिया गया।

अध्यादेश में निहित प्रावधान

- एक बार शत्रु सम्पत्ति का नियंत्रण संरक्षक को प्राप्त होने के पश्चात् यह संरक्षक के नियंत्रणाधीन बनी रहेगी, भले ही शत्रु की मृत्यु आदि होने जैसे किन्ही कारणों से शत्रु, शत्रु से संबंधित वस्तु या फर्म को शत्रु की परिभाषा से बाहर मान लिया जाए।
- शत्रु सम्पत्ति के संबंध में उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होंगे।
- एक शत्रु अथवा शत्रु विषयक अथवा शत्रु फर्म के द्वारा संरक्षक/अभिरक्षक में निहित किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता और अभिरक्षक शत्रु संपत्ति की तब तक सुरक्षा करेगा जब तक अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप इसका निपटारा नहीं कर दिया जाता।

शत्रु सम्पति अधिनियम, 1968 के प्रावधान

- शत्रु सम्पत्ति अधिनियम को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1968 में अधिनियमित किया गया था। अधिनियम के द्वारा शत्रु सम्पत्ति का नियंत्रण संरक्षक में निहित कर दिया गया।

VISION IAS

- अधिनियम भारत सरकार को शत्रु की सम्पत्ति के संरक्षण के लिए संरक्षक नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत करता है। सरकार एक या एक से अधिक संरक्षकों की नियुक्ति सहायक संरक्षक के रूप में कर सकती है।
- अधिनियम के अंतर्गत भारत रक्षा अधिनियम 1962 तथा 1971 के तहत नियुक्त किए गए संरक्षक संबंधी कदमों को भी वैधता प्रदान करने के प्रावधान किए गए हैं।
- शत्रु सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली कुल आय का दो प्रतिशत संरक्षक को प्राप्त होगा। शत्रु सम्पति के किराए, ब्याज आदि से प्राप्त राशियों को भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा।

9.2.3. परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विधेयक, 2015

(Transport and Road Safety Bill, 2015)

विधेयक का उद्देश्य

- सभी सड़क प्रयोगकर्ताओं तथा सड़क दुर्घटनाओं से प्रभावित होने की अधिक संभाव्यता वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील व्यवस्था के निर्माण हेतु विधेयक तैयार किया गया है।
- सुरक्षित और प्रभावशाली परिवहन एवं सड़क व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया को बाधा रहित बनाने तथा कम कीमत में स्थायित्वपूर्ण और समावेशी व्यवस्था बनाने हेतु विधेयक तैयार किया गया है।

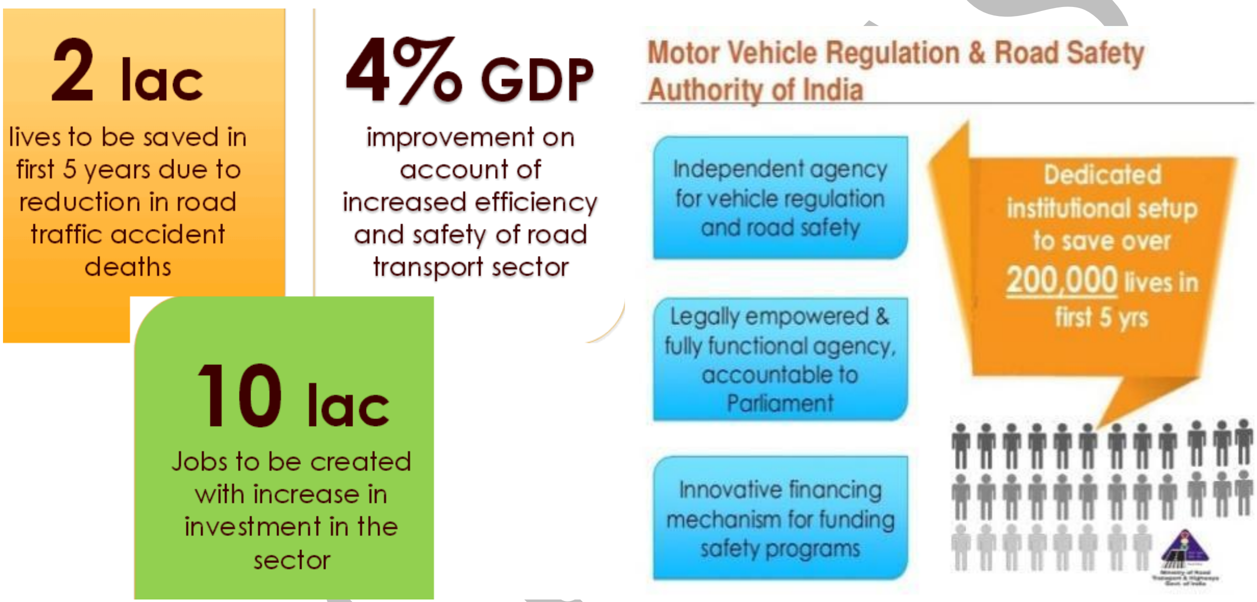

9.3. नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016

(The Citizenship (Amendment) Bill, 2016)

सुर्खियों में क्यों?

- नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 को गृह मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन प्रस्तावित करता है।
- विधेयक में कुछ विवादास्पद प्रावधानों की वजह से नागरिकता के संबंध में पक्ष-पात का मुद्दा उठा है।

पृष्ठभूमि

- **नागरिकता अधिनियम, 1955** के अंतर्गत पांच विभिन्न तरीकों से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। यह **जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीयकरण और भारत में क्षेत्र के समावेश** जैसे आधारों पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है।
- अधिनियम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से अवैध प्रवासियों पर प्रतिबंध लगाता है। एक अवैध प्रवासी को यह एक विदेशी के रूप में परिभाषित करता है (I) जो एक वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करता है, या (ii) स्वीकृत समय सीमा से अधिक भारत में रहता है।
- देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति ,आवेदन करने से पहले कम से कम 11 साल से भारत में रह रहा हो या केंद्र सरकार की सेवा में रहा हो।

- अधिनियम यह प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार कुछ आधारों पर OCI's का पंजीकरण रद्द कर सकती है। इनमें शामिल हैं: (i) यदि OCI धोखाधड़ी के माध्यम से पंजीकृत है, या (ii) पंजीकरण के पांच साल के भीतर दो साल या उससे अधिक के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है, या (iii) यह भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के हित में आवश्यक हो जाता है, आदि।

अधिनियम में महत्वपूर्ण परिवर्तन

- विधेयक अधिनियम में यह संशोधन प्रस्तावित करता है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई समूह के व्यक्तियों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।
- विधेयक नागरिकता योग्यता के संबंध में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाईयों को अपवाद का प्रावधान करता है, जिसके अंतर्गत 11 साल की अनिवार्यता को कम करके छह साल कर दिया जाएगा।
- विधेयक OCI द्वारा देश में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करने की स्थिति में OCI के पंजीकरण को रद्द करने का एक और आधार प्रदान करता है।

9.4. प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016

(Institutes of Technology (Amendment) Bill, 2016)

सुर्खियों में क्यों ?

- संसद ने छः नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) की स्थापना के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016 को पारित कर दिया है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- विधेयक प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 में संशोधन प्रस्तावित करता है, जो कुछ प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करता है।
- छह नए IIT पलक्कड़ (केरल), तिरुपति (आंध्र प्रदेश), गोवा, धारवाड़ (कर्नाटक), भिलाई (छत्तीसगढ़) और जम्मू (जम्मू-कश्मीर) में स्थापित किए जाएंगे।
- यह संशोधन अधिनियम के दायरे में, धनबाद के इंडियन माइन्स स्कूल को लाना प्रस्तावित करता है।
- इन सभी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित किया जाएगा।

9.5. निर्दिष्ट राहत (स्पेसिफिक रिलीफ) अधिनियम

(Specific Relief Act)

सुर्खियों में क्यों?

- केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में निर्दिष्ट राहत अधिनियम 1963 में परिवर्तन की सिफारिश की है।

निर्दिष्ट राहत अधिनियम 1963 क्या है ?

- अधिनियम के अनुसार जब कभी किसी अनुबंध के अनुपालन न हो पाने की स्थिति में होने वाली क्षति को मापा न जा सके या मौद्रिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त न हो तब एक पक्ष, दूसरे पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तो को पूरा करवाने के लिए न्यायालय में प्रार्थना कर सकता है।
- इसे अनुबंध का निर्दिष्ट प्रदर्शन कहा जाता है।
- यह आधारभूत परियोजनाओं जैसे हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण या भूमि की खरीद और बिक्री आदि को समाहित करता है।

9.6. भारतीय चिकित्सा परिषद विधेयक 2016 का प्रारूप

(Draft Indian Medical Council Bill 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् (IMC) अधिनियम, 1956 में संशोधन कर IMC (संशोधन) विधेयक प्रस्तावित किया गया है।
- इस विधेयक के प्रावधान **अरविन्द पनगढ़िया** समिति के द्वारा चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से सम्बंधित चिंताओं हेतु अनुशंसित सुधारों पर आधारित हैं।

VISION IAS

- **सभी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में स्नातक स्तर पर** एक यूनिफॉर्म एग्जिट टेस्ट (**नेशनल एग्जिट टेस्ट या NEXT**) आयोजित किया जाएगा।

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956

- यह अधिनियम भारतीय चिकित्सा परिषद् (MCI) के गठन का प्रावधान करता है।
- भारतीय चिकित्सा परिषद् विनियमित करता है-
- चिकित्सा शिक्षा के मानक
- मेडिकल कॉलेज, पाठ्यक्रमों का आरम्भ या सीटों की संख्या में वृद्धि की अनुमति देना।
- चिकित्सकों का पंजीकरण।
- चिकित्सकों के पेशेवर आचरण के मानक।

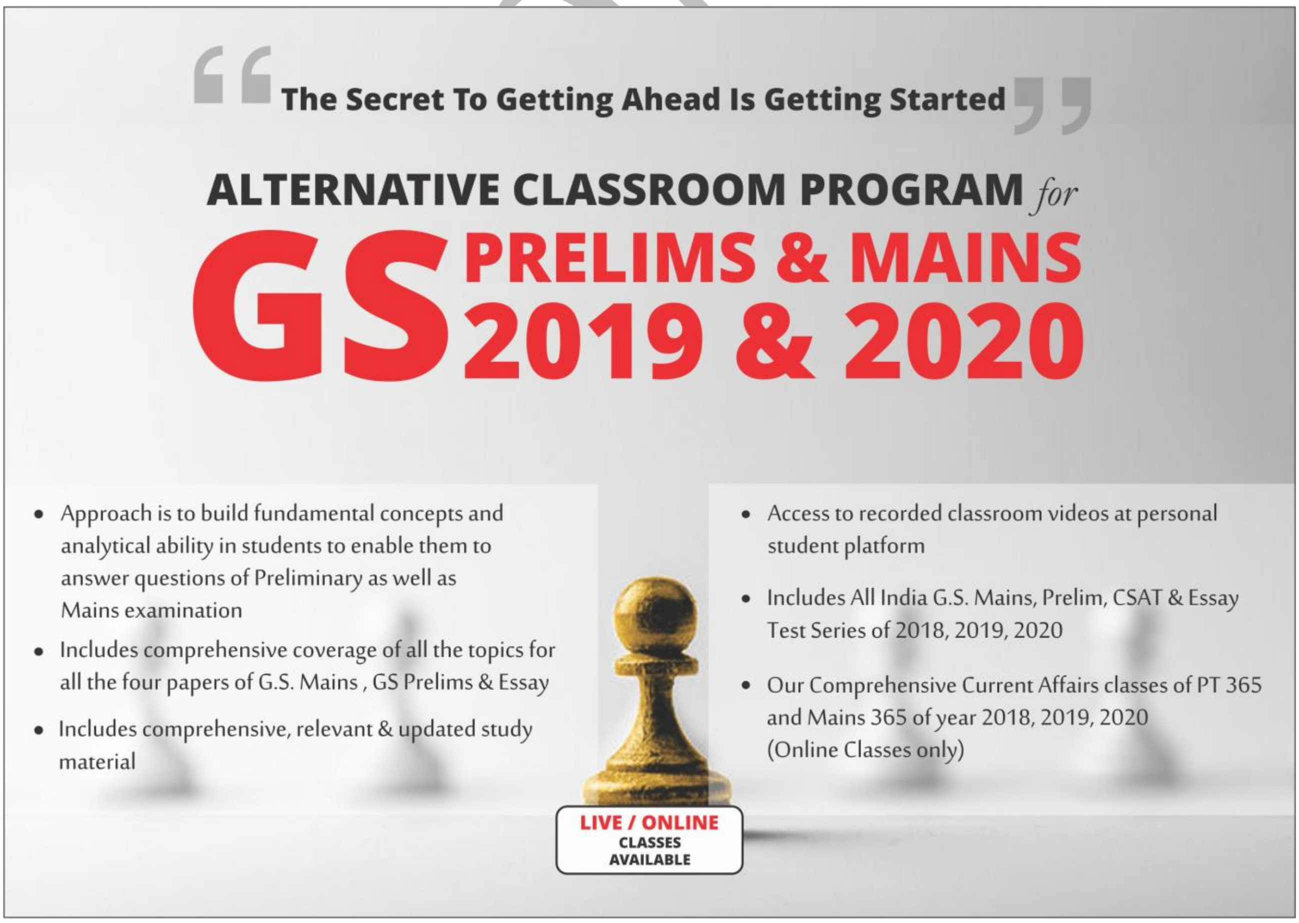

10. नीतियाँ /योजनाएं

(POLICIES/ SCHEMES)

10.1. टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना

(Target Olympic Podium Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2020 और 2024 के ओलंपिक खेलों में पदक जीतने की सम्भावना वाले खिलाड़ियों की पहचान और समर्थन करने के लिए शीर्ष समिति का पुनर्गठन किया है।

TOP (टारगेट ओलंपिक पोडियम) योजना

- इस योजना के अंतर्गत चयनित एथलीटों को विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले संस्थानों में उनकी आवश्यकतानुरूप विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत एथलीटों के चयन के मानदंड अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार हैं।
- समिति इसकी प्रक्रिया निर्धारित करेगी और आवश्यकता पड़ने पर विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है। समिति का प्रारंभिक **कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष होगा।**

10.2. वनजीवन

(Vanjeevan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने UNDP और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC) के साथ भागीदारी से जनजातियों के आजीविका से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए **राष्ट्रीय संसाधन केंद्र (NRC) 'वनजीवन'** का भुवनेश्वर में शुभारंभ किया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (NSTFDC)

- भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में 2001 में स्थापित।
- यह ऐसे अनुसूचित जनजातीय परिवारों, जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों से दोगुनी है, को व्यवहार्य आय सृजन गतिविधियों को आरंभ करने के लिए रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

- यह योजना आजीविका के मुद्दों से संबंधित समस्याओं की पहचान करेगी, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी और जनजातीय लोगों के बीच उद्यमशीलता और रोजगार को सुगम बनाएगी।
- जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनुसंधान और तकनीकी केंद्र के रूप में कार्य करने हेतु NRC जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक शीर्ष केंद्रीय संस्था के रूप में काम करेगा।
- **पहले चरण में** इसे जनजातीय लोगों के निम्न HDI मान वाले छह राज्यों के चुनिंदा जिलों में लागू किया जाएगा। इन राज्यों में असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और तेलंगाना हैं।
- **दूसरे चरण में** इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय और त्रिपुरा में लागू किया जाएगा।
- NRC में एक ज्ञान केंद्र भी होगा जोकि पारंपरिक आदिवासी ज्ञान पर विशेष बल देगा और नए व्यापार मॉडल और रोजगार के अवसरों के साथ इसे जोड़ेगा।

10.3. केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली

(Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System: CPGRAMS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने हाल ही में केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मंत्रालयों/विभागों को उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया।

VISION IAS

- यह लोक शिकायतों के निवारण की दिशा में एक बड़ी पहल है, क्योंकि शिकायत निवारण तंत्र किसी भी प्रशासनिक मशीनरी का अभिन्न अंग होता है।
- ऐसी उम्मीद है कि पुरस्कार योजना से लोक शिकायतों को हल करने के विषय में मंत्रालयों/विभागों में प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी।

CPGRAMS क्या है?

- CPGRAMS एक ऑनलाइन वेब आधारित एप्लीकेशन है जो जनता की शिकायतों के शीघ्र निवारण को सुगम बनाती है। यह नागरिकों को ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने और उनकी स्थिति का पता लगाने में सक्षम बनाती है।
- यह प्रणाली संबंधित मंत्रालय/विभाग/सरकारी संगठन की आवश्यकता के अनुसार कई स्तरों तक विस्तारित किये जाने हेतु पर्याप्त लचीला (flexible) है, जिससे शिकायतों का शीघ्र अग्रेषण और निवारण किया जा सके।
- लोक शिकायत पोर्टल पिछले कुछ वर्षों के दौरान निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ विकसित हुआ है:

✓ लोक शिकायत से संबंधित जानकारी के प्रसार के लिए एक मंच के रूप में सेवा देना तथा इन शिकायतों के निवारण की निगरानी करना।
✓ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और अपनी शिकायत की स्थिति का ट्रैक रखने हेतु नागरिकों को सक्षम बनाना।
✓ बिना किसी देरी के जाँच एवं कार्रवाई करने में मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को सक्षम बनाना।
✓ संबद्ध मंत्रालयों/विभागों तक शिकायतों के भौतिक अग्रेषण को कम करना/समाप्त करना।

10.4. एम्प्लॉइज ऑनलाइन मोबाइल एप्प

(Employees Online Mobile App)

- हाल ही में, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने एम्प्लॉइज ऑनलाइन (EO) मोबाइल एप्प का शुभारम्भ किया।

EO App कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) का एक मोबाइल एप्लीकेशन है। यह उपयोगकर्ता को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट: ACC) द्वारा अनुमोदित नियुक्तियों एवं पद स्थापना (पोस्टिंग) तथा भारत सरकार में वरिष्ठ स्तर पर रिक्तियों से वास्तविक समय (रियल टाइम) आधार पर अवगत रहने में सक्षम बनाएगा।

EO App की विशेषताएँ

- देश भर में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी आसानी से अपनी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट, अचल परिसंपत्ति रिटर्न, पद स्थापन (पोस्टिंग), घरेलू और विदेशी प्रशिक्षण इत्यादि के संबंध में आसानी से विवरण प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे।
- EO App भारत सरकार में स्थानांतरणों और पद स्थापनों (पोस्टिंग) के संबंध में लगायी जाने वाली अटकलबाजियों को कम कर देगा।
- यह नागरिकों द्वारा शासन (गवर्नेंस) संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए बार-बार प्रस्तुत किए जाने वाले सूचना का अधिकार संबंधी आवेदनों की संख्याओं को भी नियंत्रित करेगा, क्योंकि अधिकतर विवरण वास्तविक समय (रियल-टाइम) आधार पर जनता के लिए ऑनलाइन रखे जाएंगे।
- **महत्व-** EO App अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की भावना के संगत है। यह पारदर्शिता एवं ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम है। यह **तंत्र को पूर्ण रूप से पारदर्शी** बनाएगा।

10.5. प्रथम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन

(First National Day of Ayurveda Celebrated)

- इस वर्ष 28 अक्टूबर को देश भर में प्रथम राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया गया।
- इस अवसर पर राष्ट्रीय धन्वन्तरि आयुर्वेद पुरस्कार भी प्रदान किए गए।
- "आयुर्वेद के माध्यम से मधुमेह की रोकथाम और नियंत्रण" पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई। इसमें मधुमेह की रोकथाम और उपचार में आयुर्वेद की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

10.6. एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल

(Ek Bharat Shreshtha Bharat Initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा "एक भारत श्रेष्ठ भारत" पहल का आरम्भ किया गया।

पहल के बारे में:

- यह भारत की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने के लिए यह एक **अभिनव उपाय है जिससे विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों** की संस्कृति, परंपराओं तथा प्रथाओं के ज्ञान के माध्यम से **राज्यों के मध्य एक बेहतर समझ एवं संबंध को बढ़ावा** मिलेगा।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित किया जाएगा।
- इस योजना के अनुसार, दो राज्य एक वर्ष के लिए एक अद्वितीय साझेदारी आरम्भ करेंगे जिसमें सांस्कृतिक और विद्यार्थी आदान-प्रदान को लक्षित किया जाएगा। शुभारंभ के अवसर पर, इस पहल के तहत ऐसे प्रत्येक दो राज्यों के मध्य 6 सहमति पत्रों (MOUs) पर हस्ताक्षर भी किए।
- इसमें एक विशेष राज्य का विद्यार्थी, एक-दूसरे की संस्कृति को जानने के लिए दूसरे राज्य की यात्रा करेगा।
- जिला स्तर पर भी ऐसे जोड़े बनाये जाएंगे तथा यह राज्य स्तर के जोड़े से स्वतंत्र होंगे।
- वार्षिक कार्यक्रमों में विभिन्न राज्यों और जिलों को जोड़ने में यह गतिविधि अत्यधिक सहायक होगी, यह संस्कृति, पर्यटन, भाषा, शिक्षा, व्यापार आदि के क्षेत्रों में आदान-प्रदान के माध्यम से लोगों को जोड़ेगी।
- यह महसूस करते हुए कि भारत एक है, नागरिक कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सांस्कृतिक विविधता का भी अनुभव करेंगे।

"एक भारत श्रेष्ठ भारत" का उद्देश्य:

- हमारे राष्ट्र की विविधता में एकता का प्रचार करना और इसे बनाए रखना तथा हमारे देश के लोगों के बीच पारंपरिक रूप से विद्यमान भावनात्मक बंधन के **ताने-बाने को मजबूत** करना।
- राज्यों के बीच एक वर्ष की अवधि वाली योजनाबद्ध भागीदारी द्वारा सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक प्रगाढ़ और संरचित भागीदारी के माध्यम से **राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा** देना।
- भारत की विविधता को समझने और उसकी सराहना करने में लोगों को सक्षम करने के लिए समृद्ध विरासत एवं संस्कृति, रीति-रिवाज एवं परंपराओं को प्रदर्शित करना तथा इस प्रकार पहचान की **समान भावना को बढ़ावा** देना।
- दीर्घकालिक भागीदारी की स्थापना करना तथा ऐसे माहौल का निर्माण करना जो राज्यों के बीच सर्वोत्तम कार्यप्रणाली और अनुभवों को साझा कर सीखने को बढ़ावा देता है।

10.7. वेब रिस्पांसिव पेंशनर्स' सर्विस पोर्टल

(Web Responsive Pensioner's Service Portal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- वित्त मंत्री ने **डिजिटल इंडिया** के तहत एक नई पहल 'वेब रिस्पांसिव पेंशनर्स सर्विस पोर्टल' की शुरुआत की है, जिसका उत्तरदायित्व महालेखा नियंत्रक (कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट) के कार्यालय द्वारा लिया गया है।

यह क्या है?

- इस पोर्टल से पेंशनभोगियों को पेंशन के मामलों तथा केन्द्रीय मंत्रालय/ विभाग एवं बैंक द्वारा संसाधित (प्रोसेस) की जाने वाली पेंशन के भुगतान की स्थिति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- यह पोर्टल, शिकायत निवारण के लिए एक प्रभावी मंच की भूमिका भी निभाएगा।
- इसे केंद्रीय पेंशन लेखांकन कार्यालय (सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस) द्वारा विकसित किया गया है।

10.8. स्वच्छ युग अभियान

(Swachh Yug Campaign)

- गंगा के किनारे स्थित गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ODF) कराने के प्रयास के एक भाग के रूप में, सरकार ने एक अभियान **'स्वच्छ युग'** प्रारंभ किया है।
- यह नदी के किनारे बसे गांवों में रह रहे लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए तीन केंद्रीय मंत्रालयों का एक सहयोगात्मक प्रयास है।

VISION IAS

- गंगा नदी के किनारे 5169 गांव स्थित हैं। ये गाँव नदी के बहने वाले पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के 52 जिलों की 1,651 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आते हैं।
- प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी की पहचान की जाएगी जो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को "मिशन मोड" आधार पर खुले में शौच से मुक्त (ODF) करने तथा उचित ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से स्वच्छ करने की दिशा में कार्य करेगा।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत मौद्रिक प्रोत्साहनों के अतिरिक्त, स्थानीय प्रशिक्षकों को आभासी कक्षाओं (वर्चुअल क्लासरूम) के नेटवर्क के माध्यम से अन्तर्वैयक्तिक व्यवहार परिवर्तन हेतु संचार कौशल का विकास करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अभियान में शामिल मंत्रालय

- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय - मिशन मोड रणनीति के द्वारा उचित ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से गांव की स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करना।
- युवा मामले और खेल मंत्रालय, नेहरू युवा केन्द्र संगठन के द्वारा समन्वय के माध्यम से भारत स्काउट और गाइड, नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय सेवा योजना जैसी युवाओं की संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करेगा।
- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय।

10.9. नयी प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति

(New Print Media Advertisement Policy)

सुर्खियों में क्यों?

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया में विज्ञापन जारी करने में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (Directorate of Advertising & Visual Publicity: DAVP) के लिए एक नयी प्रिंट मीडिया विज्ञापन नीति तैयार की है।

  नई नीति की मुख्य विशेषताएं

- पहली बार समाचार पत्रों के लिए एक नयी मार्किंग प्रणाली तैयार की गयी है जिनका उद्देश्य ऐसे समाचार पत्रों को प्रोत्साहित करना है जिनका बेहतर व्यावसायिक दृष्टिकोण रहा है।
- इस नीति के अंतर्गत DAVP के साथ समाचार पत्र/पत्रिकाओं के मनोनयन (empanelment) हेतु **सर्कुलेशन वेरिफिकेशन प्रोसीजर** भी शामिल है।
- नीति एक ही अखबार के विविध संस्करणों के लिए भी मनोनयन प्रक्रिया की अपेक्षा करती है।
- समानता आधारित क्षेत्रीय पहुँच को बढ़ावा देने के लिए, नीति सम्पूर्ण भारत में विज्ञापनों के लिए जारी बजट को प्रत्येक राज्य / भाषा में समाचार पत्रों के कुल सर्कुलेसन के आधार पर राज्यों के बीच विभाजित करने पर जोर देती है।

11. विविध

(MISCELLANEOUS)

11.1. उत्तर-पूर्वी पर्यटन विकास परिषद (NETDC)

(North East Tourism Development Council (NETDC))

- केन्द्र सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक और निजी भागीदारी (PPP) व्यवस्था के तहत NETDC का गठन किया है।
- देश में पहली बार किसी विशिष्ट क्षेत्र को समर्पित किसी ऐसी पर्यटन एजेंसी का गठन किया गया है।
- यह सभी भागीदारों की प्रभावी भागीदारी से पर्यटन उद्योग के विकास को सुगम बनाने के लिए एक सामूहिक संस्थागत मंच का कार्य करेगी।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र हेतु हाल ही में उठाये गए कुछ अन्य कदम इस प्रकार हैं:
- किसी भी युवा उद्यमी या स्टार्ट-अप जो उत्तर-पूर्व में कोई उद्यम या प्रतिष्ठान स्थापित करना चाहता है उसको प्रारम्भिक पूँजी सहायता प्रदान करने के लिए एक "वेंचर फंड" की स्थापना की गयी है।
- भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) शिलांग में "डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस" की स्थापना। यह सेंटर, उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए अनुसंधान और विश्लेषण हेतु सुविधा प्रदान करेगा।

11.2. भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (करप्शन परसेप्शन इंडेक्स :CPI)

(Corruption Perception Index)

- हाल ही में जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में 168 देशों की सूची मे भारत को 79वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- CPI-2015 में 168 देशों की सूची में 38/100 अंक अर्जित कर भारत को 76वाँ स्थान मिला था। वर्ष 2014 एवं वर्ष 2013 में भारत के क्रमश: 85वें और 94वें स्थान की तुलना में वर्ष 2015 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है।

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (करप्शन परसेप्शन इंडेक्स) के सम्बन्ध में:

- भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का प्रकाशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 1995 से किया जा रहा है।
- सूचकांक में रैंकिंग के लिए मानदंडों में पुलिस और न्यायपालिका जैसी सार्वजनिक संस्थाओं के प्रकार्य, प्रेस की स्वतंत्रता, लोक व्यय के संदर्भ में सूचनाओं तक पहुँच, लोक प्राधिकारी के लिए सत्यनिष्ठा के उच्च मानक शामिल हैं।

11.3. निजी FM रेडियो द्वारा समाचार प्रसारण

(News Broadcast by Private FM Radios)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई एक जनहित याचिका में सरकार पर समाचारों के प्रसारण पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने का आरोप लगाया गया है। यद्यपि रेडियो प्रसारण को 1999 में ही निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया था ।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र से चार हफ्ते में इस प्रश्न पर अपनी अनुक्रिया दर्ज करने को कहा है । साथ ही यह पूछा है कि क्या निजी FM रेडियो स्टेशन और सामुदायिक रेडियो सेवाएं अपने समाचार और सम-सामयिक कार्यक्रमों का प्रसारण कर सकते हैं।
- वर्तमान में FM और सामुदायिक रेडियो स्टेशन केवल असंपादित आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) समाचार का पुनर्प्रसारण कर सकते हैं।

सरकारी नियंत्रण

- नीतिगत दिशा-निर्देश और ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट (Grant of Permission Agreements: GOPA) FM रेडियो स्टेशनों और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को अपने समाचार और सम-सामयिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने से रोक लगाते हैं।
- समाचार प्रसारण और सम-सामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण पर प्रसार भारती कारपोरेशन (यह ऑल इंडिया रेडियो का स्वामित्व धारण करता है एवं इसे संचालित करता है) का एकाधिकार है।

प्रसार भारती कारपोरेशन

- यह भारत का लोक सेवा प्रसारक है, जिसकी स्थापना संसदीय अधिनियम के माध्यम से स्वायत्त संगठन के रूप में की गई है।
- यह अपनी दो शाखाओं दूरदर्शन और आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) के माध्यम से कार्य करता है।

11.4. राष्ट्रीय खेल संहिता हेतु समिति

(Committee for National Sports Code)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोढ़ा समिति की अनुशंसाएं स्वीकार करने के लिए BCCI पर दबाव डालने से, अन्य खेल निकायों के लिए भी राष्ट्रीय खेल संहिता में संशोधन की मांग उठ रही है।
- विश्व भर में अन्य खेल निकायों के विपरीत भारत में खेल निकाय पूर्व एथलीटों की बजाय मुख्य रूप से राजनीतिक रूप से प्रभुत्वशाली लोगों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।
- ये खेल महासंघों के रूप में प्रभावहीन हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं।
- भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए जनवरी 2017 में खेल सचिव की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति का गठन किया है जो सभी खेलों में लागू होगी।
- समिति के लिए एक माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

11.5. लोढ़ा समिति

Lodha Committee

- 4 जनवरी 2016 को सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने लोढ़ा समिति की नियुक्ति की। SC ने तीन सदस्यीय लोढा पैनल से BCCI में प्रशासनिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन का निरीक्षण करने का अनुरोध किया। पैनल को यह कार्य छह माह के भीतर करने का निर्देश दिया गया।
- इस समिति ने समस्याग्रस्त BCCI में व्यापक सुधारों और प्रशासनिक परिवर्तन अनुशंसा कीI इसके परिणामस्वरूप BCCI एवं कुछ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, पूर्व खिलाड़ी एवं क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स ने लोढा पैनल की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।
- SC ने लोढ़ा पैनल के कई प्रमुख प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है I

11.6. भारतीय कौशल विकास सेवा

(Indian Skill Development Service) [ISDS]

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने भारतीय कौशल विकास सेवा (ISDS) के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है।

पृष्ठभूमि

- मंत्रिमंडल द्वारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण निदेशालय के लिए 2015 में ISDS के सृजन को मंजूरी दी गयी।
- वर्तमान अधिसूचना के साथ ही अब यह एक औपचारिक सेवा बन जाएगी।
- प्रशिक्षण निदेशालय शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना आदि जैसी योजनाओं को लागू करता है।

सेवा की आवश्यकता

- स्किल इण्डिया मिशन का लक्ष्य 2022 तक 500 मिलियन कुशल कार्यबल की स्थापना करना है। ISDS के अंतर्गत कुशल प्रशासकों का दल इस लक्ष्य को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करेगा।
- 2014 तक सेक्टर मुख्यतः निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हो रहा था IISDS इस सेक्टर में और अधिक सरकारी नियंत्रण स्थापित करेगा।
- भारत, विश्व में सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे कम कौशल प्रवीणता युक्त राष्ट्र है। यह कदम हमारे जनांकिकीय लाभांश के दोहन तथा कार्यबल की कुशलता में वृद्धि के दोहरे उद्देश्य को पूरा करेगा।

इस सेवा की विशेषताएँ

- ISDS ग्रुप 'A' की सेवा होगी जिसे UPSC द्वारा संचालित भारतीय अभियांत्रिकी सेवा के माध्यम से भरा जाएगा।
- ISDS में 263 अखिल भारतीय पद शामिल होंगे।
- ISDS के अंतर्गत प्रशासकों के प्रशिक्षण का कार्य राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान द्वारा किया जाएगा।

11.7. कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण

(Reservation for Kannadigas)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट (स्टैंडिंग ऑर्डर)रूल्स ऑफ़ 1961 {Karnataka Industrial Employment (Standing Order) Rules of 1961} के संशोधन का मसौदा (draft amendments) जारी किया है। यह निजी क्षेत्र कि ब्लू कॉलर नौकरियों में कन्नड़ मूल के लोगों को 100% आरक्षण प्रदान करेगा।
- यह आईटी और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों को छोड़कर सरकारी रियायतें प्राप्त करने वाली सभी कंपनियों पर लागू होगा। इसका अनुपालन न करने वाली कंपनियों को सरकारी रियायतें नहीं प्राप्त होंगी।

प्रभाव

- यह अन्य राज्यों को भी स्थानीय लोगों हेतु निजी क्षेत्र की नौकरियों में कोटा आरक्षित करने हेतु प्रोत्साहित कर विभाजनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देकर **राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरे में** डाल सकता है।
- निजी कंपनियां कर्मचारियों की नियुक्ति विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर करती हैं, लेकिन अगर **"son of the soil policy"** को नियुक्ति प्रक्रिया में लागू किया जाता है, तो इसका सीधा अर्थ योग्यता पर क्षेत्रीय कारकों को प्रधानता देना होगा।
- अगर इस तरह के नियम उन पर थोपे गए तो संभव है, कि निजी कंपनियां वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धी न रह जाएँ।

11.8.मणिपुर मुद्दा

(Manipur issue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मणिपुर में 7 नए जिलों का निर्माण किया गया है, जिससे राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है।

पृष्ठभूमि

- मणिपुर में तीन मुख्य समुदाय रहते हैं – नागा (Naga) और कुकी (Kuki), जोकि आदिवासी हैं और मेइती (Meitei) जोकि गैर-आदिवासी हैं।
- नागा और कुकी पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते है, जबकि मेइती घाटी में रहते हैं।
- 1971 से **नए जिलों की मांग** मणिपुर में जातीय संघर्ष का एक कारण रहा है।
- मणिपुर के सभी चार पहाड़ी जिलों में नागा और कुकी जनजातियों के गांव पास-पास स्थित हैं, जिससे यह मुद्दा और भी संवेदनशील हो जाता है।

मुख्य विशेषताएं

- नागा हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली **संयुक्त नागा काउंसिल** (UNC) ने सेनापति जिले से पर्याप्त नागा आबादी को अलग कर सदर हिल्स जिले के निर्माण का विरोध किया है।
- उनका आरोप है कि, दो जिले, सदर और जिरीबाम, नागाओं की पैतृक भूमि पर अतिक्रमण करेंगे।
- राज्य सरकार ने इस आरोप को नकारते हुए कहा है कि, यह कदम विशुद्ध प्रशासनिक सुविधा के लिए उठाया गया है और इसका कोई गलत उद्देश्य नहीं है।

11.9. शरण चाहने वालों के लिए लाभ

(Benefits to Asylum Seekers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लंबी अवधि के वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए इन देशों के **"उत्पीड़ित' (persecuted)"** अल्पसंख्यकों के लिए कई लाभों को विस्तारित करने से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
- वे अब स्व-रोजगार से जुड़ सकते हैं। संपत्ति खरीद सकतें हैं। बैंक में खाता खुलवा सकतें हैं और ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड व आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

शरण (असाइलम) क्या है?

- अपने जीवन की सुरक्षा या युद्ध कारणों से मूल देश को छोड़ने के लिए मजबूर किए गए लोगों को प्रदत्त सुरक्षा या संरक्षण।विशेष रूप से सरकार द्वारा प्रदत्त इस प्रकार के सुरक्षा या संरक्षण, को असाइलम की संज्ञा दी जाती है।
- भारत काफी संख्या में शरणार्थियों को शरण दे रहा है, हालांकि भारत संयुक्त राष्ट्र के 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र नहीं है।
- भारत में शरण की मांग कर रहे लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। भारत में राष्ट्रीय शरण कानून नहीं है। भारत में विदेशियों के साथ सामान्यतः निम्नलिखित विधानों के अन्तर्गत व्यवहार किया जाता है–
  1. रजिट्रेशन ऑफ़ फॉरिनर्स एक्ट, 1939
  2. द फॉरेनर्स एक्ट, 1946
  3. द फॉरेनर्स ऑर्डर, 1948

प्रस्तावित परिवर्तन

- अपने मूल देशों में उत्पीड़न के डर से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के कई सदस्य भारत आए हैं।
- नागरिकता संबंधी पंजीकरण शुल्क को 3,000-15,000 रुपया से घटाकर 100 रुपया किया जाएगा।
- ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता दिलाने में मदद करने के लिए जल्द ही **नागरिकता अधिनियम, 2009** में संशोधन किया जाएगा ।
- लाभार्थी स्वयं के व्यवसाय या **स्व-रोजगार में उपयोग के लिए संपत्ति खरी**द सकते हैं।
- लाभार्थियों को उनके प्रवास वाले राज्य के भीतर **मुक्त आवाजाही की अनुमति** है। एक राज्य से दूसरे राज्य में हस्तांतरित अपनी लंबी अवधि के वीजा कागजात को भी वे प्राप्त कर सकते हैं।
- सरकार ने उन्हें अनुमति दी है कि वे अपने वर्तमान निवास स्थान से ही **लंबी अवधि की वीजा** के लिए आवेदन कर सकते हैं, भले ही वे बिना अनुमति के वर्तमान स्थान पर आ गए हों।
- सरकार ने उनकी अल्प या लंबी अवधि की वीजा विस्तार के लिए आवेदन करने में देरी पर जुर्माने को माफ कर दिया है।
- आवेदकों के निष्ठा की शपथ संबंधी कार्यों को संपन्न करने के लिए कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया जाएगा कि वे सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट या उससे ऊंचे रैंक के अधिकारी को उक्त प्राधिकार प्रदान करें।
- भारत के नागरिक के रूप में उनका पंजीकरण कराने के लिए ऐसी शक्तियां दो वर्षों के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र , दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के कलेक्टरों को दे दी जाएगी।

11.10. भारत में नियामक निकाय

(Regulatory Bodies in India)

विनियामक हस्तक्षेप के औचित्य

- **बाजार अर्थव्यवस्था:** बाजार में विफलता की रोकथाम। उदाहरण के लिए गैर-प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालियों की जांच करना आदि।
- निष्पक्षता, उपभोक्ता संरक्षण तथा दक्षता में वृद्धि करना। उदाहरण के लिए, बाह्यताओं(Externalities) की रोकथाम अर्थात पर्यावरण विनियमन आदि।
- सार्वजनिक हित को बढ़ावा देने के लिए: निष्पक्ष पहुंच, गैर-भेदभाव, सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना।

VISION IAS

Present	Proposed	Functions
RBI	RBI	Monetary policy; regulation and supervision of banks; regulation and supervision of payments system.
SEBI FMC IRDA PFRDA	Unified Financial Agency (UFA)	Regulation and supervision of all non-bank and payments related markets.
Securities Appellate Tribunal (SAT)	Financial Sector Appellate Tribunal (FSAT)	Hear appeals against RBI, the UFA and FRA.
Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC)	Resolution Corporation	Resolution work across the entire financial system.
Financial Stability Development Council (FSDC)	FSDC	Statutory agency for systemic risk and development.
New entities	Debt Management Agency	An independent debt management agency.
	Financial Redressal Agency (FRA)	Consumer Complaints

11.11. मुख्य सतर्कता आयुक्त

(CVC)

- यह एक बहु-सदस्यीय सांविधिक निकाय है जो केंद्र सरकार के तहत आने वाली सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। साथ ही यह आयोग केन्द्र सरकार की विभिन्न संस्थाओं को उनके सतर्कता कार्य के योजना निर्माण, कार्यान्वयन, समीक्षा और सुधार हेतु सलाह देता है।
- इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) होता है तथा दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त इसके सदस्य होते हैं।
- भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामले की जांच के दौरान CBI तक CVC के अधीक्षण (superintendence) का विस्तार हो जाता है
- केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संदर्भों की जांच या पूछताछ करते समय या जांच पड़ताल करवाते समय CVC में सिविल कोर्ट की शक्तियां निहित होती हैं।

11.12. केन्द्रीय वक्फ परिषद

(Central Waqf Council)

- हाल ही में केंद्रीय वक्फ परिषद की 75 वीं बैठक आयोजित की गई थी।
- वक्फ अधिनियम के तहत यह एक वैधानिक निकाय है।
- भारत सरकार एक केंद्रीय मंत्री को वक्फ परिषद् के प्रभारी के रूप में नियुक्त करती है। वक्फ परिषद् के सदस्यों के रूप में अधिकतम 20 लोगों की नियुक्ति करती है।
- यह देश में वक्फ के उचित प्रशासन को सुनिश्चित करता है एवं साथ ही राज्य वक्फ बोर्डों को परामर्श भी देता है।

11.13. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

(Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan: RGSA)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर, उन मुख्य कमियों को दूर करेगा जो इसे सफल बनाने से रोकते हैं।

RGSA का उद्देश्य :

- पंचायतों और ग्राम सभाओं की क्षमता और प्रभाव बढ़ाना।
- लोकतांत्रिक निर्णय लेने और पंचायतों में जवाबदेही स्थापित करना तथा जन भागीदारी को बढ़ावा देना।
- ज्ञान का सृजन एवं पंचायतों की क्षमता निर्माण हेतु संस्थागत संरचना को मजबूत करना।

- संविधान और PESA अधिनियम की भावना के अनुसार पंचायतों को शक्तियों एवं जिम्मेदारियों के हस्तांतरण को बढ़ावा देना।
- पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभाओं को जन भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही हेतु आधारभूत मंच (basic forum) के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु सक्षम बनाना।
- जहां पंचायतें नहीं हैं, उन क्षेत्रों में लोकतांत्रिक स्थानीय स्व-शासन को स्थापित कर इसे मजबूती प्रदान करना।
- पंचायतों की स्थापना से संबंधित संविधान द्वारा **अधिदेशित प्रारूप** (constitutionally mandated framework) को मजबूती प्रदान करना।

11.14.संकल्प परियोजना

(Sankalp Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इस परियोजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग नियमित रूप से पूर्व-सेवानिवृत्त परामर्श कार्यशालाओं का संचालन कर रहा है।

परियोजना के बारे में

- इस योजना की शुरुआत जनवरी 2014 में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (Department of Pension & Pensioners' Welfare) द्वारा की गई है।
- इसका उद्देश्य सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पास उपलब्ध कौशल, अनुभव और समय को समाज के सार्थक एवं स्वैच्छिक योगदान के रूप में चैनलाइज्ड करना है।
- यह सेवानिवृत्ति के पश्चात् व्यक्ति की गरिमा एवं उनके जीवन के उद्देश्य की पुनः प्राप्ति में सहायक होगा।

11.15. सरकारी विज्ञापनों हेतु समाचार पत्रों के लिए "मार्क सिस्टम"

('Marking' System for Newspapers for Government Ads)

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ***डायरेक्टरेट ऑफ़ एडवरटाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी (DAVP)*** के लिए एक नई *प्रिंट मीडिया एडवरटाइजमेंट पॉलिसी* तैयार की है।
- यह प्रिंट मीडिया में विज्ञापन जारी करने में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देगा।
- ABC (*ऑडिट ब्योरो ऑफ़ सर्कुलेशन*) / RNI (*रजिस्टार ऑफ़ न्यूजपेपर, इंडिया*) द्वारा जारी *प्रोफेशनल स्टैंडिंग एंड वेरिफिकेशन सर्कुलर* के आधार पर समाचार पत्रों के लिए एक नवीन मार्किंग सिस्टम लागू किया गया है।

RNI के बारे में

- इसे प्रेस रजिस्ट्रार के रूप में भी जाना जाता है।
- यह भारत में प्रकाशित अखबारों और पत्रिकाओं हेतु एक रजिस्टर रखता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दो अखबारों या पत्रिकाओं की एक ही भाषा और एक ही राज्य में एक समान नाम न हो ।

ऑडिट ब्यूरो ऑफ़ सर्कुलेशन **(ABC):**

- 1948 में स्थापित, यह विश्व के विभिन्न भागों में एक ही नाम से संचालित कई संगठनों का अंतरराष्ट्रीय महासंघ है।
- यह एक गैर-लाभकारी स्वैच्छिक संगठन है I इसमें प्रकाशक, विज्ञापनदाता एवं विज्ञापन एजेंसियां शामिल हैं।
- यह ABC सदस्यों के पब्लिकेशन सर्कुलेशन आंकड़ों को प्रमाणित करने हेतु लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं (audit procedures) को विकसित करता है।

12. पूर्व के वर्ष में पूछे गए प्रश्न

(PREVIOUS YEAR QUESTIONS)

SC Portal on Pendency of Cases

1. लोक अदालतों के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये- **(CSE-2009)**

   1. एक लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश (Decree) मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती।
   2. विवाह-सम्बन्धी/ पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते है ।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/है ?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

Answer – (a)

Law Commission recommended capital punishment abolition

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये- **(CSE-2004)**

   1. जिले में उच्चतम दंड न्यायालय, जिला और सेशन न्यायाधीश का न्यायालय होता है।
   2. जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय से परामर्श कर राज्यपाल द्वारा होती है।
   3. जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को सात वर्ष या उससे अधिक अवधि का अधिवक्ता या प्लीडर अथवा संघ या राज्य की न्यायिक सेवा में सेवारत पदाधिकारी होना चाहिए।
   4. यदि सेशन न्यायाधीश मृत्युदंड का निर्णय दे तब मृत्यदंड से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा उसका पुष्टिकरण अनिवार्य होता है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/है?

   (a) 1 और 2 (b) 2, 3 और 4
   (c) 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

Answer – (d)

NJAC Act as Unconstitutional and Void

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये - **(CSE-2007)**

   1. न्यायाधीश (जांच) विधेयक 2006 के अंतर्गत एक न्यायिक परिषद् को स्थापित करने का विचार है, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों के विरुद्ध शिकायतें स्वीकार करेंगी।
   2. घरेलु हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम,2005 के अंतर्गत कोई महिला किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दाखिल कर सकती है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/है?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 (d) न तो 1 और न ही 2

Answer – (b)

VISION IAS

Uniform Civil Code

3. भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिये- **(CSE-2012)**

1. भारतीय नागरिको के लिए समान नागरिक(सिविल) संहिता सुरक्षित करना।
2. ग्राम पंचायतो को संघटित करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना।
4. सभी कर्मकारो के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना।

उपरोक्त में से कौन-से गाँधीवादी सिद्धांत है , जो राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते है?

(a) केवल 1, 2 और 4 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

Answer – (b)

Child Rights

5. भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन-से अनुच्छेद में उपबन्ध है कि चौदह वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित (Employed to work) नहीं किया जायेगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन (Hazardous employment) में नहीं लगाया जायेगा? **(CSE-2004)**

(a) अनुच्छेद 24

(b) अनुच्छेद 45

(c) अनुच्छेद 330

(d) अनुच्छेद 368

Answer – (a)

Minority Status of Educational Institutes

6. सुमेलित कीजिये- **(CSE-2002)**

	सूची I (भारतीय संविधान का अनुच्छेद)		**सूची II** (प्रावधान)
A	अनुच्छेद 16(2)	1	किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा।
B	अनुच्छेद 29(2)	2	किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता।
C	अनुच्छेद 30 (1)	3	सभी अल्पसंख्यको को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाए स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा।
D	अनुच्छेद 31 (1)	4	किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमे से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जायेगा।

कूट

A B C D

(a) 2 4 3 1 (b) 3 1 2 4

(c) 2 1 3 4 (d) 3 4 2 1

Answer – (a)

VISION IAS

Suprerme Court Verdict on Haryana Panchayati Raj (Amendment) Act 2015

7. यदि पंचायत भंग होती है, तो किस अवधि के अन्दर निर्वाचन होंगे? **(CSE-2010)**

(a) 1 माह (b) 3 माह
(c) 6 माह (d) 1 वर्ष

Answer – (c)

8. संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओ को प्रोत्साहित करना है, निम्नलिखित में से किस/किन चीजो की व्यवस्था करता है? जिला योजना समितियों का गठन करने की। **(CSE-2011)**

1. राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा सभी पंचायतो का चुनाव करने की।
2. राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करने की।

कूट

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

Answer – (c)

9. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रो में ग्राम सभा की क्या भूमिका/शक्ति है? **(CSE-2012)**

1. ग्रामसभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है।
2. ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है ।
3. अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है ।

कूट

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2और 3 (d) 1, 2 और 3

Answer – (b)

10. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (National Human Right Commission) के अधिनियम, 1993 केअनुसार, निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? **(CSE-2004)**

(a) उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश
(b) उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश
(c) केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति
(d) केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति

Answer – (c)

11. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/है? **(CSE-2016)**

1. लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यपगत(लैप्स) हो जाता है ।
2. राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक,जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Answer – (b)

VISION IAS

12. राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्तियां प्राप्त कर लेती है, यदि इसके लिए एक संकल्प **(CSE-2016)**

(a) लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए।
(b) लोकसभा द्वारा अपनी सम्पूर्ण सदस्य संख्या के कम-से-कम-दो-तिहाई बहुमत से पारित कर लिया जाए।
(c) राज्यसभा द्वारा अपनी सम्पूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए।
(d) राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित कर लिया जाए।

Answer – (d)

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: **(CSE-2016)**

1. किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है।
2. पंचायत के समयपूर्व भंग होने के पश्चात् पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/है?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Answer – (b)

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए **(CSE-2016)**

1. किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
2. राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/है?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Answer – (d)

15. 'ग्राम न्यायालय अधिनियम' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/है? **(CSE-2016)**

1. इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलो की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलो की नहीं।
2. यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियो को मध्यस्थ/सुलाह्कर्ता के रूप में स्वीकार करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Answer – (b)

16. एक राष्ट्रीय मुहिम 'राष्ट्रीय गरिमा अभियान' चलायी गयी है **(CSE-2016)**

(a) आवासहीन और निराश्रित लोगो के पुनर्वास और उन्हें उपयुक्त जीविकोपार्जन के स्रोत प्रदान करने के लिए
(b) यौन कर्मियों (सेक्स वर्कर्स) को उनके पेशे से मुक्त कराने और उन्हें जीविकोपार्जन के वैकल्पिक श्रोत प्रदान करने के लिए
(c) मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और मैला ढोने वाले कर्मियों के पुनर्वासिन के लिए
(d) बंधुआ मजदूरों को उनके बंधन से मुक्त कराने और उनके पुनर्वासन के लिए

Answer – (c)

VISION IAS